



90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान

मीडिएशन फॉर द नेशन

"समाधान और सङ्घाव की यात्रा"

90 Days Mediation Drive—A Journey of Resolution and Harmony



(01 जुलाई 2025 से 07 अक्टूबर 2025)

"समझौते से समाधान, रिश्तों में सम्मान"

मध्यस्थता केन्द्र,
जिला न्यायालय, दुर्ग (छ०ग०)

90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान

"मीडिएशन फॉर द नेशन"



90 Days Mediation Drive

A Journey of Resolution and Harmony

छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में मध्यस्थता केंद्रों की निगरानी के लिए गठित समिति



**माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू,
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
अध्यक्ष**



**माननीय श्री न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी,
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
सदस्य**

**माननीय श्री न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल,
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
सदस्य**



**श्री पंकज कुमार जैन,
रजिस्ट्रार (एस.एंड.ए.) सह-सचिव
छ.ग. उच्च न्यायालय मध्यस्थता समिति**

मध्यस्थता सेल की संपर्क जानकारी

मध्यस्थता सेल,

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,
बोदरी, रायपुर रोड, बिलासपुर**



07752-241024



mediation-hc@cg.gov.in



जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग

पत्रिका "मीडियेशन फॉर द नेशन - मध्यस्थता केन्द्र दुर्ग (छोगो)"
के संकलन एवं प्रकाशन हेतु गठित समिति -

अध्यक्ष (Direction & Valuable Guidance)

श्री कें विनोद कुजूर,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दुर्ग (छोगो)



सदस्य (Data Collection & Synchronization)

श्रीमती सुषमा लकड़ा

समन्वयक, मध्यस्थता केन्द्र,
जिला न्यायालय, दुर्ग (छोगो)
एवं अध्यक्ष,
स्थायी लोक न्यायालय (जनोपयोगी सेवाएँ)
दुर्ग (छोगो)



सदस्य (Data Collection & Synchronization)

श्रीमती रश्मि नेताम

सह-समन्वयक, मध्यस्थता केन्द्र,
जिला न्यायालय, दुर्ग (छोगो)



सदस्य (Data Collection & Synchronization)

श्री उमेश कुमार भागवतकर

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दुर्ग (छोगो)



तकनीकी सहयोगी (Editing, Designing & compiling)

सुश्री निधि दुआ

वरिष्ठ न्यायालय प्रबंधक,
जिला न्यायालय, दुर्ग (छोगो)



मध्यस्थता केन्द्र/डीएलएसए की संपर्क जानकारी



(0788) 2330618,



dlsa.durg@gmail.com



[YouTube <http://www.youtube.com@jilavidhiksevapradhikarandurg>](http://www.youtube.com@jilavidhiksevapradhikarandurg)



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग

"Resolution through the Lens of Style"



क्रमांक	विवरण	पेज नंबर
01	संदेश	
1.1	माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा द्वारा प्रदत्त संदेश	01
1.2	माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतीम साहू द्वारा प्रदत्त संदेश	02
1.3	श्री के. विनोद कुजूर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त संदेश	03
1.4	श्री अभिजीत सिंह, कलेक्टर दुर्गा (छ.ग.) द्वारा प्रदत्त संदेश	04
1.5	श्री विजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्गा (छ.ग.) द्वारा प्रदत्त संदेश	05
02	संपादकीय	07
03	प्रस्तावना (Preface)	08-09
04	मध्यस्थता - न्याय का सरल, सुलभ और मानवीय मार्ग	10-11
05	वैकल्पिक विवाद समाधान	12-14
06	न्याय वितरण प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ाना	15-16
07	मध्यस्थता अवधारणा एवं महत्व	17
08	मध्यस्थता किन विवादों में उपयोगी	18
09	न्याय निर्णयन और मध्यस्थता में अंतर	19
10	मध्यस्थता के लाभ	20
11	मध्यस्थता के विधिक आधार	21-24
12	90 दिवसीय अभियान - कार्यान्वयन	25-29
13	प्रकरणों की स्क्रीनिंग	30-31
14	मध्यस्थता कार्यवाही में पुलिस बार एवं पक्षकारों का समन्वय	32
15	विशेष जागरूकता कार्यक्रम, शिविर एवं परामर्श सत्र	33
16	मध्यस्थों एवं स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण	34
17	अनुभव और सफलता की कहानियाँ	35-39

क्रमांक	विवरण	पेज नंबर
18	पक्षकारों के उद्धरण	40
19	सांख्यिकीय उपलब्धियाँ	41-45
20	विशेष मध्यस्थता अभियान में शीर्ष दो न्यायाधीश मीडिएटर और एडवोकेट मीडिएटर	46
21	सामान्य निराकरण बनाम मध्यस्थता निराकरण	47
22	प्रतिक्रिया और सीख	48
23	अधिवक्ताओं की प्रतिक्रियाएँ	49
24	मध्यस्थ न्यायाधीशों की प्रतिक्रियाएँ	50
25	न्यायाधीशों की प्रतिक्रियाएँ	51-52
26	पुलिस, प्रशासन एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाएँ	53-54
27	चुनौतियों के बावजूद सफलता	55
28	भविष्य के अभियानों के लिए सीख	56
29	आगे का रास्ता	57
30	पुलिस थानों में मध्यस्थता डेस्क की स्थापना	58
31	गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक नेतृत्वकर्ताओं की भागीदारी	59
32	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न	60-61
33	राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता को बढ़ावा	62-63
34	दुर्ग जिले से संबंधित जानकारी	64-68
35	संस्कृति एवं मध्यस्थता में उसका महत्व	69





छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर



न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा

मुख्य न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एवं

मुख्य संरक्षक,

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

बिलासपुर (छ०ग०)



रमेश

महात्मा गांधी जी के शब्दों में "न्यायालयों में वर्षों तक चलने वाले मुकदमे न केवल समय और धन की बर्बादी हैं, बल्कि उनमें मानवीय संबंधों की ऊषा भी खो जाती है।" उनका मत था कि "सर्वोत्तम न्याय वही है, जो आपसी समझौते से प्राप्त हो।" उनका यह भी कहना था कि जब पक्षकार एक-दूसरे से बातचीत के माध्यम से अपने मतभेद सुलझाते हैं, तो उसमें किसी की हार नहीं होती, बल्कि दोनों पक्ष विजयी होते हैं – यही सच्चे अर्थों में सत्य और अहिंसा पर आधारित न्याय है।

विवाद मानव समाज का अंग रहे हैं, और प्रायः किसी निष्पक्ष सहायक अथवा मध्यस्थ के हस्तक्षेप से उनका समाधान खोजने का प्रयास किया जाता रहा है। वर्तमान समय में विवादों की संख्या में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप देशभर में लंबित प्रकरणों का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 ने एक वैकल्पिक समाधान का मार्ग प्रशस्त किया है, जो समय की आवश्यकता बन चुका है।

मुकदमों में अप्रत्याशित वृद्धि कोई आश्वर्य का विषय नहीं है। समझौता, सुलह, लोक अदालत और मध्यस्थता ये चारों ही उपाय इस चुनौती से निपटने के प्रभावी साधन हैं। इनमें से मध्यस्थता सर्वाधिक प्रभावी और वांछनीय तंत्र सिद्ध हुई है, जिसकी सुविधा आज प्रशिक्षित एवं अनुभवी मध्यस्थों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

किसी व्यक्तिगत विवाद की जड़ें कई बार विभिन्न स्तरों तक फैली होती हैं। सामान्यतः न्याय प्रणाली में केवल एक पक्ष की विजय सुनिश्चित होती है, जिसके कारण प्रकरण वर्षों तक विभिन्न न्यायालयों में लंबित रहते हैं। इसके विपरीत, मध्यस्थता की प्रक्रिया में दोनों पक्ष विजयी होते हैं, क्योंकि इसमें परस्पर सम्मान, संवाद और सहमति के आधार पर समाधान प्राप्त किया जाता है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि जिला न्यायालय दुर्ग के मध्यस्थता केंद्र द्वारा एकत्रित मूल्यवान आंकड़ों, आवश्यक जानकारियों एवं सांख्यिकीय विवरणों को समाहित करते हुए यह स्मारिका प्रकाशित की जा रही है। मध्यस्थता प्रणाली की अब तक की उल्लेखनीय सफलता को देखते हुए, मैं इसके और अधिक उच्चल तथा प्रभावशाली भविष्य की हार्दिक कामना करता हूँ।





न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू
न्यायाधीश,
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,
पोर्टफोलियो जज, दुर्ग (छ.ग.) एवं
अध्यक्ष छ.ग.राज्य के जिला न्यायालयों में
मध्यस्थता केंद्रों की निगरानी हेतु गठित समिति



—रमेश—

यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग की मध्यस्थता समिति अपनी प्रथम मध्यस्थता पत्रिका प्रकाशित करने जा रही है। उक्त पत्रिका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मीडिएशन एंड काउंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी (MCPC) नई दिल्ली के मार्गदर्शन पर 90 दिवसीय मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान में अब तक की जानकारी सांख्यिकीय आंकड़ों और उपलब्धियों का संकलन है।

सांविधिक प्रावधानों में इस बात पर बल दिया गया है कि प्रत्येक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय का यह कर्तव्य है कि शमनीय प्रकृति के प्रकरण में पक्षकारों के मध्य समझौते को प्रोत्साहित किया जाए और इस संबंध में मध्यस्थता वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का एक सशक्त माध्यम है। यह प्रसन्नता की बात है कि अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में कम मुकदमे हैं, किन्तु फिर भी पक्षकारों के हित में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी सुलह, विवाद को पूर्णतया और अंतिमतः सुलझा देती है और दोनों पक्षकार विजयी होते हैं।

विवादों के निराकरण में मध्यस्थता की अहम भूमिका रहती है। उक्त प्रयत्न हेतु मैं जिला न्यायालय दुर्ग की मध्यस्थता समिति एवं सर्व संबंधितों का आभारी हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक कामना करता हूं।





के. विनोद कुजूर
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)



रुद्रा

"मध्यस्थता, न्यायिक व्यवस्था का वह स्तंभ है जो संवाद और समझदारी पर आधारित है। इस 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान का उद्देश्य केवल प्रकरणों का निराकरण करना नहीं है, बल्कि समाज में विश्वास, शांति और आपसी सङ्ग्राव को सुदृढ़ करना भी है।" मध्यस्थता केवल विवाद सुलझाने का माध्यम ही नहीं, बल्कि समाज में विश्वास, सङ्ग्राव और शांति स्थापित करने की एक सकारात्मक पहल है। 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान – समाधान और सङ्ग्राव की यात्रा हमें यह संदेश देती है कि संवाद और सहयोग से हर कठिनाई का सरल समाधान संभव है।

दुर्ग की संस्कृति में मध्यस्थता यानी आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की परंपरा बहुत पुरानी है। गाँवों में पंचायतें, मुखिया और बुजुर्ग जन मिलकर संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान करते हैं। यह लोक परंपरा न्यायालय के बाहर सुलह और समझौते पर आधारित होती है। साथ ही दुर्ग की सांस्कृतिक जीवनशैली में धैर्य, सहानुभूति और सामुदायिक सहयोग के मूल्य समाहित हैं, जो मध्यस्थता को सफल बनाते हैं, जो कि 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान के सफल आँकड़ों से भी दर्शित हो रहा है।

मैं सभी पक्षकारों, अधिवक्ताओं एवं संबंधित अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाने में सक्रिय योगदान देकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

— ♦ —



अभिजीत सिंह (भा.प्र.से.)
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
दुर्ग (छ.ग.)



—८६९—

एक प्रगतिशील समाज वही है जहाँ विवाद की जगह संवाद ले लेता है। इस 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह अभियान आम नागरिकों को साझा समाधान की संस्कृति की ओर प्रेरित करता है। प्रशासन की ओर से हम सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक लोग इस पहल से जुड़ें और मध्यस्थता को जीवन का हिस्सा बनाएं।

हमारी नीति यह है कि हर नागरिक को यह भरोसा दिलाया जाए कि समस्याओं का हल न्यायालय की लंबी प्रक्रिया में उलझे बिना, मित्रवत वातावरण में किया जा सकता है। यह न केवल समय बचाएगा बल्कि समाज में शांति और प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

मैं सभी नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि इस अभियान में सक्रिय भागीदारी कर समाज को विवाद-मुक्त एवं सौहाद्रपूर्ण बनाने में अपना योगदान दें।

— — — ♦ — — —



विजय अग्रवाल (भा.पु.से.)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
दुर्ग (छ.ग.)



— रुद्रा —

मध्यस्थता केवल विवाद समाधान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि समाज में आपसी विश्वास और शांति स्थापित करने का सशक्त साधन है। 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान – समाधान और सद्व्यवहार की यात्रा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हर मतभेद का समाधान संवाद और समझ से संभव है। जब लोग न्यायालय और पुलिस थानों के स्थान पर आपसी बातचीत और मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाते हैं, तो न केवल अनावश्यक मुकदमों और तनाव से बचते हैं, बल्कि समाज में अपराध की संभावना भी कम होती है।

पुलिस विभाग की ओर से इस अभियान में सक्रिय सहयोग दिया गया, ताकि पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही सुलझाया जा सके। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि विवादों को हिंसा या अपराध की दिशा में बढ़ने से रोकने के लिए मध्यस्थता का मार्ग अपनाएँ और शांति, सहयोग एवं कानून के पालन वाली संस्कृति को आगे बढ़ाएँ। आइए, मिलकर एक सुरक्षित, सशक्त और सौहाद्रपूर्ण समाज का निर्माण करें।

— ♦ —

शांत मन से सुलह करें,
आओ मिलकर बात करें।
लड़ाई के दांव से हटकर,
प्यार से हम एक हो जाए।

विवादो के जाल से निकलकर,
एक नया रिश्ता बनाए।
झगड़े की आग को बुझाकर,
समझौते का दीप जलाए।

संपादकीय

हमारे देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या करोड़ों में है। प्रत्येक वर्ष इनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है जिससे न्यायालयों पर भार बढ़ता जा रहा है। इसमें तभी कमी हो सकती है जब न्यायिक निर्णयों के अलावा अन्य विकल्पों का समुचित उपयोग किया जावे।

मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सभी पक्ष आपसी चर्चा से अपने विवाद का निराकरण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग न्यायालय आने से पहले भी हो सकता है। इस प्रक्रिया के समुचित उपयोग से हम वर्षों तक न्यायालयों के विभिन्न स्तरों पर चलने वाली लंबी खर्चाती तथा तनाव देने वाली सुनवाई से बच सकते हैं और न्यायालयों का भार कम करने में भी अपना सहयोग दे सकते हैं।

"Mediation for the Nation" अभियान के प्रारंभ में माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति/संरक्षक श्री रमेश सिन्हा के उद्घोषन से यह प्रेरणा प्राप्त हुई कि न्याय केवल निर्णय देने में नहीं, बल्कि समझौते और संवाद के माध्यम से समाधान खोजने में निहित है। इस पहल ने यह भावना जागृत की है कि यदि हम एक-दूसरे को सुनें, समझें और सहानुभूति से आगे बढ़ें, तो हर विवाद शांति में परिवर्तित हो सकता है।

आमजन इस वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया की विशेषताओं से अवगत होकर लाभ प्राप्त कर सकें, इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग की मध्यस्थता समिति द्वारा यथासंभव सरल भाषा में इस पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। प्रत्येक पाठक इस पत्रिका से वांछित लाभ उठायें, साथ ही निरक्षरजन को भी योजना की जानकारी देकर सेवाकार्य में भागीदार बनें। इस लघु पत्रिका के माध्यम से विशेष तौर पर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले आम जन को उल्लेखित जानकारी सरल भाषा में पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस लघु पत्रिका के प्रकाशन के लिये माननीय मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, माननीय पोर्टफोलियो जज, जिला न्यायालय दुर्ग, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग एवं जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संदेश प्रेषित कर मार्गदर्शन देते हुए अमूल्य समय प्रदान किया है जिसके लिये हम उनके हृदय से आभारी हैं। हम इस लघु पत्रिका के प्रकाशन में सहयोग करने वाले लेखकगण, संकलनकर्ता व अन्य सभी के सहयोग हेतु भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

इस पत्रिका से आमजन को अपने विवाद के निराकरण में थोड़ा भी लाभ मिल सके तो मध्यस्थता केन्द्र का प्रयास सफल होगा। इस पत्रिका को उपयोगी बनाने हेतु पाठकगण के पत्र एवं सुझाव की प्रतीक्षा रहेगी। एक उम्मीद के साथ.....

प्रस्तावना (Preface)

मध्यस्थता को केंद्र बिंदु क्यों चुना गया?

आज के दौर में समाज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, लेकिन इसके साथ-साथ विवाद और मतभेद भी जीवन का हिस्सा बने हुए हैं। परंपरागत न्यायिक प्रक्रिया में लंबा समय, खर्च और जटिलताएँ आमजन को थका देती हैं। ऐसे में मध्यस्थता (Mediation) एक सशक्त विकल्प के रूप में सामने आई है, जहाँ संवाद, सहयोग और समझौता के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाता है।

मध्यस्थता का महत्व

मध्यस्थता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रक्रिया कम समय, कम खर्च और आपसी सहमति पर आधारित होती है। इसमें जीत और हार की भावना नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों को सम्मानजनक समाधान मिलता है। यही कारण है कि यह विवाद निवारण की एक ऐसी विधि है जो न केवल विधिक, बल्कि सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी अधिक उपयोगी है।



केंद्र बिंदु बनाने के पीछे का उद्देश्य

"90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान – समाधान और सद्व्यवहार की यात्रा" में मध्यस्थता को केंद्र बिंदु बनाने के पीछे कई कारण हैं—


1. **न्याय तक त्वरित पहुँच** – न्यायालयों का भार कम करना और आमजन को त्वरित समाधान उपलब्ध कराना।
2. **समाज में सद्व्यवहार** – संवाद और सहमति से समाधान होने पर रिश्ते और सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं।
3. **विवाद-मुक्त वातावरण** – छोटी-छोटी बातों से उपजने वाले बड़े विवादों को जड़ से समाप्त करना।
4. **लागत में कमी** – महँगी व लंबी न्यायिक प्रक्रिया के स्थान पर सरल और सस्ती राह उपलब्ध कराना।
5. **विश्वास का निर्माण** – नागरिकों में यह विश्वास जगाना कि न्याय केवल न्यायालय में ही नहीं, बल्कि आपसी बातचीत और समझ से भी संभव है।

नीतिगत दृष्टिकोण (Policy Vision)

मध्यस्थता को केंद्र बिंदु बनाकर न्यायिक और प्रशासनिक संस्थाएँ यह संदेश देना चाहती हैं कि "विवाद नहीं, संवाद ही समाधान है।" यह न केवल कानून और व्यवस्था को मजबूत करता है बल्कि समाज में शांति, सहयोग और विकास की संस्कृति स्थापित करता है।

निष्कर्ष

मध्यस्थता केवल विधिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। यही कारण है कि इस अभियान में मध्यस्थता को केंद्र में रखकर एक विवाद-मुक्त, शांतिपूर्ण और सद्व्यवहारी समाज के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।



"मध्यस्थता" – न्याय का सरल, सुलभ और मानवीय मार्ग

90- दिवसीय अभियान के उद्देश्य:-

- न्याय तक त्वरित पहुँच सुनिश्चित करना – लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करना और आमजन को सुलभ एवं किफ़ायती न्याय दिलाना।
- न्यायालयों का भार कम करना – लंबित प्रकरणों की संख्या घटाकर न्यायिक प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना।
- संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना – विवादों का समाधान आपसी सहमति और विश्वास पर आधारित प्रक्रिया से करना।
- सामाजिक सङ्ग्राव और संबंधों की रक्षा – पारिवारिक, वैवाहिक, व्यावसायिक और सामाजिक प्रकरणों में संबंधों को टूटने से बचाना।
- वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को लोकप्रिय बनाना – जनता को यह जागरूक करना कि न्याय केवल न्यायालय में ही नहीं, बल्कि संवाद और सहमति से भी संभव है।
- विवाद-मुक्त समाज का निर्माण – छोटी-छोटी बातों से उपजने वाले बड़े विवादों को जड़ से समाप्त कर समाज में शांति स्थापित करना।
- लागत और समय की बचत – परंपरागत न्यायिक प्रक्रिया की तुलना में कम खर्च और कम समय में समाधान उपलब्ध कराना।
- जन-भागीदारी और विश्वास का निर्माण – नागरिकों, प्रशासन, पुलिस और न्यायिक संस्थाओं के मध्य विश्वास और सहयोग को मज़बूत करना।
- दीवानी और आपराधिक समझौता योग्य प्रकरणों की लंबितता को कम करना।
- **मध्यस्थता** : लंबित प्रकरणों को कम करने का सशक्त माध्यम।



"Where Conflict Measures Up to Style"

सिविल प्रकरणों में मध्यस्थता का योगदान

- पारिवारिक विवादों का समाधान – वैवाहिक संबंधों, भरण-पोषण, संपत्ति विभाजन जैसे विवादों में मध्यस्थता आपसी सहमति से समाधान कर रिश्तों को बचाने का कार्य करती है।
- व्यावसायिक एवं अनुबंधीय विवाद – व्यापारिक अनुबंध, साझेदारी, लेन-देन एवं भूमि-संपत्ति संबंधी विवाद मध्यस्थता के माध्यम से शीघ्र हल होते हैं।
- समय और धन की बचत – वर्षों तक चलने वाले मुकदमों की तुलना में मध्यस्थता सस्ता, सरल और त्वरित विकल्प है।
- लंबितता में कमी – बड़ी संख्या में दीवानी प्रकरण मध्यस्थता से हल होकर न्यायालय का भार घटाते हैं।

आपराधिक समझौता योग्य प्रकरणों में मध्यस्थता का योगदान

- आपसी सहमति से निपटारा – धारा 320 दंप्र०सं०/359 भा०ना०सु०सं० के अंतर्गत आने वाले समझौता योग्य अपराध जैसे साधारण मारपीट, मानहानि, घरेलू विवाद, आपसी झगड़े आदि मध्यस्थता से सुलझाए जा सकते हैं।
- सामाजिक सङ्घाव की स्थापना – आपराधिक प्रकरणों में भी जब पक्षकार बातचीत से समाधान ढूँढ़ते हैं, तो समाज में शांति और विश्वास बढ़ता है।
- न्यायालय का भार कम होना – छोटे-छोटे आपराधिक प्रकरणों में समझौता होने से गंभीर प्रकरणों पर न्यायालय अधिक ध्यान केंद्रित कर पाता है।
- संबंधों का संरक्षण – पड़ोसी, रिश्तेदार या परिचितों के मध्य हुए विवाद जब मध्यस्थता से सुलझते हैं, तो आपसी रिश्ते बिगड़ने से बचते हैं।

समग्र प्रभाव

- त्वरित, सस्ता और मानवीय न्याय
- विवाद → संवाद → समाधान
- न्यायिक प्रणाली को राहत

मध्यस्थता का सबसे बड़ा योगदान यही है कि यह विवादों को मुकदमे में बदलने से रोकती है और पहले से लंबित प्रकरणों को भी जल्दी समाप्त करती है। इससे न केवल न्यायिक प्रणाली पर भार कम होता है, बल्कि आमजन को सस्ती, त्वरित और मानवीय न्याय भी उपलब्ध होता है।



निष्कर्ष-

दीवानी और आपराधिक समझौता योग्य प्रकरणों में मध्यस्थता न्याय व्यवस्था के लिए एक 'विन-विन' समाधान है। यह केवल विवाद निराकरण की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसा सामाजिक सेतु है जो न्याय, विश्वास और सङ्घाव को मजबूत बनाता है।

वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा : न्याय की नई राह

"जहाँ संवाद है, वहाँ समाधान है।"

न्यायालयों में बढ़ते प्रकरणों की भीड़ आज हमारे न्यायिक तंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एक सामान्य व्यक्ति को अपने छोटे से विवाद के निपटारे के लिए भी वर्षों इंतजार करना पड़ता है। यही कारण है कि वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution — ADR) आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है।

वैकल्पिक विवाद समाधान क्या है?

वैकल्पिक विवाद समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें विवादों का निपटारा न्यायालय के बाहर आपसी सहमति और बातचीत से किया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल तेज़ है, बल्कि कम खर्चीली और संबंधों को बचाए रखने वाली भी है। इसके मुख्य साधन हैं –



- **मध्यस्थता (Mediation)** : निष्पक्ष मध्यस्थ की सहायता से आपसी सहमति।
- **सुलह (Conciliation)** : सौहाद्रपूर्ण बातचीत से हल।
- **पंचनिर्णय (Arbitration)** : विशेषज्ञ द्वारा दिया गया बाध्यकारी निर्णय।
- **लोक न्यायालय (Lok Adalat)** : जनता की न्यायालय जहाँ सौहाद्रपूर्ण समझौता होता है।
- **परामर्श केन्द्र** : पारिवारिक व सामाजिक विवादों का समाधान।

वैकल्पिक विवाद समाधान क्यों है खास?

- **समय की बचत** : वर्षों का विवाद कुछ ही बैठकों में समाप्त।
- **कम खर्चीला** : बिना भारी-भरकम फीस और कोर्ट खर्च।
- **रिश्तों की रक्षा** : विशेषकर परिवार व पड़ोस के विवादों में संबंध बने रहते हैं।
- **गोपनीयता** : प्रकरण सार्वजनिक नहीं होते, प्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है।
- **विश्वास की पुनर्स्थापना** : लोक न्यायालय जैसी पहल से जनता का भरोसा बढ़ता है।

भारत में पहल

भारत में लोक अदालतें, परिवार परामर्श केन्द्र और मध्यस्थता केन्द्र लगातार सक्रिय हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि आम जनता न्याय की इस आसान राह को अपनाए।

"Expert Guidance, Seamless Solutions"

निष्कर्ष

आज आवश्यकता है कि समाज ADR को केवल विकल्प न समझे, बल्कि इसे न्याय पाने का सशक्त साधन मानें। यदि हम सब मिलकर संवाद और समझौते की संस्कृति को बढ़ावा दें, तो निश्चित ही-

न्यायालयों का भार कम होगा,
जनता को त्वरित न्याय मिलेगा, और
समाज में शांति व विश्वास कायम रहेगा।

याद रखें – बातचीत से बड़ा कोई समाधान नहीं।



लोक अदालत




परिवार परामर्श केन्द्र



मध्यस्थता केन्द्र

"Precision Mediation, Proficient Peace"



पक्षकारों के साथ ऑनलाईन मीडियेशन करते मध्यस्थ न्यायाधीशगण



पक्षकारों के साथ मीडियेशन करते मध्यस्थ न्यायाधीशगण

"A soft voice can be stronger than a hard argument."

न्याय वितरण प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ाना

"न्याय में देरी, न्याय से इनकार के समान है।"

यह कथन भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती को रेखांकित करता है। न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की भीड़, सुनवाई की जटिल प्रक्रिया और लंबा इंतजार ये सब आम नागरिक के विश्वास को प्रभावित करते हैं। फिर भी न्यायपालिका लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है और इस पर जनता का विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

न्यायपालिका में विश्वास क्यों महत्वपूर्ण?

- लोकतंत्र का आधार नागरिकों का भरोसा है।
- यदि आमजन को लगे कि उसे निष्पक्ष व समय पर न्याय मिलेगा, तो वह व्यवस्था का सम्मान करेगा।
- विश्वास न केवल न्यायालय की गरिमा बढ़ाता है बल्कि कानून-व्यवस्था की नींव को भी मजबूत करता है।

विश्वास को सुदृढ़ करने के उपाय

1. त्वरित एवं सुलभ न्याय

छोटे-मोटे विवादों का त्वरित निपटारा लोक न्यायालय और वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से किया जाना चाहिए।

2. प्रौद्योगिकी का उपयोग

ई-कोर्ट, ऑनलाइन केस ट्रैकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएँ न केवल पारदर्शिता बढ़ाती हैं बल्कि जनता का भरोसा भी जगाती हैं।



कियोस्क मशीन का उपयोग करते पक्षकार

3. जनजागरूकता

विधिक साक्षरता शिविर, विधिक सहायता केंद्र और परामर्श सेवाएँ जनता को यह भरोसा दिलाती हैं कि न्याय उनकी पहुँच में है।

4. संवेदनशीलता और सहानुभूति

न्यायाधीश और अधिवक्ता यदि मानवीय दृष्टिकोण अपनाएँ तो न्यायिक प्रक्रिया केवल औपचारिक न रहकर सामाजिक विश्वास का साधन बन सकती है।

"Mastering the Art of Dispute"

भारत की पहल-

राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लोक न्यायालय, मध्यस्थता केंद्र, और निःशुल्क विधिक सहायता जैसी योजनाएँ न्याय को आमने तक पहुँचाने का सफल प्रयास हैं। यह व्यवस्था जनता को यह संदेश देती है कि "न्याय केवल अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए है।"

निष्कर्ष-

जनता का विश्वास ही न्यायपालिका की वास्तविक पूँजी है। जब व्यक्ति को यह भरोसा होगा कि उसे निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर न्याय मिलेगा, तभी लोकतंत्र सशक्त होगा।

विश्वास ही वह सेतु है, जो न्यायपालिका और जनता के मध्य अदूर संबंध बनाता है।



नवभारत Bhilai City - 08 Jul 2025 - 08bh3
epaper.navabharat.news

सांस्कृतिक संपदाओं के संरक्षण पर हुई रोचक परिचर्चा



भिलाईनगरा भारतीय सांस्कृतिक विधि (ईटेक) के द्वारा भिलाई अध्ययन द्वारा सांस्कृतिक संपदाओं का ध्याण व संरक्षण विषय पर रोचक परिचर्चा का आयोगन लोक अदालत की अध्यक्ष सुधामा लकड़ा के मूल्य अविष्य में भिलाई निवास में किया गया। लखनऊ के विधिवाल की अधिकारी अनुभव गुना ने शोध पर आधारित व्याख्यान दिए। उन्होंने पूरतत्वात्मक महत्व की इमरतों, मंदिरों आदि के भवर के कारणों और संरक्षण के तरीकों से अवगत कराया। ताजमहल की विशेषताओं की वर्चनी करते हुए उन्होंने बताया कि पूर्णिमा की रात चांदनी ताजमहल के संगमरमर पत्थरों पर दूरी की तरह लहुकती दिखती है जबकि मूर्ख की रोशनी में वही सारे पत्थर एक ही तरह का प्रावर्तन करते हैं। उन्होंने राजिम मंदिर के द्वावजे की नवकारी, मैनपट की दलदली की फिल्मी धरती से लेकर बहुत सारी जानकारी दी। मुख्य अंतिष्ठि श्रीमती

सुधामा लकड़ा ने कहा कि कानूनी रूप से पुरातात्त्विक संपदाओं को संरक्षित करने का संवेदनिक कर्तव्य है वे संपदाओं की श्रद्धा वहुचान, दृश्य, वेचने पर आविष्ट दृढ़ व सजा के प्रतिवान हैं। आपने मैं, संयोजक डॉ. हंसा शुक्ला ने इटेक की गतिविधियों से अविवत कराया। कवि शरद कोकास, वरिष्ठ साहित्यकार परदेसी राम जर्मा, रोकमी अनिता व विभाष उपायाय, वित्तकार डॉ. सुनीता वर्मा व महेश चतुर्वेदी, राजेन्द्र राव आदि ने परिचर्चा में भाग लिया। व्यायकार विनोद साव ने अपने वाता संस्पर्श को प्रकाशित प्राति अविष्यों को भेट की। वारिष्ठ साहित्यकार रम श्रीवास्तव ने भग की सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में बताया। शिक्षाविद् डॉ. डाएन शर्मा ने परिचर्चा का संचालन किया। इस अवसर पर पुरीत चौधे, कौति भाई सोनेकी, रंगनंद खड्डेलाल, प्रीत अजय बेहरा, दीपक दास, जाकिर हुसैन, रला नारपेटव, दुर्गा प्रसाद पारकर, शानू मोहनन, विश्वास त्रिपाठी उपस्थित थे।



विधिक साक्षरता शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं लोक अदालत

"Where Pursuit of Resolution is Expertise"

मध्यस्थता: अवधारणा और महत्व

"बातचीत से हर मुश्किल आसान हो जाती है।"

आज के समय में जब न्यायालयों में लाखों प्रकरण लंबित हैं, तब मध्यस्थता (Mediation) न्याय का एक सरल, सुलभ और प्रभावी साधन बनकर सामने आई है।

मध्यस्थता क्या है ?

- मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विवाद को न्यायालय में लड़ने के स्थान पर **तीसरे निष्पक्ष व्यक्ति (मध्यस्थ)** की सहायता से बातचीत और आपसी सहमति से हल किया जाता है।
- यह मध्यस्थ कोई न्यायाधीश नहीं होता, बल्कि वह दोनों पक्षों को संवाद के लिए प्रेरित करता है और समाधान तक पहुँचने में सहायता करता है।
- सीधे शब्दों में – मध्यस्थता का मतलब है बातचीत और समझौते के जरिए विवाद का शांतिपूर्ण समाधान।

मध्यस्थता का महत्व-

- **तेज़ प्रक्रिया** : महीनों-सालों की जगह कुछ ही बैठकों में समाधान।
- **कम खर्च** : न्यायालय की लंबी-चौड़ी फीस और खर्च से बचत।
- **रिश्तों की रक्षा** : परिवार, पड़ोसी या व्यावसायिक साझेदारियों में संबंध टूटने के स्थान पर बने रहते हैं।
- **गोपनीयता** : विवाद और चर्चा सार्वजनिक नहीं होती।
- **सभी को संतोषजनक नतीजा** : क्योंकि निर्णय थोपे नहीं जाते, बल्कि आपसी सहमति से होते हैं।



"Elevate Your Expectations"

मध्यस्थता किन विवादों में उपयोगी ?

- पारिवारिक झगड़े
- संपत्ति विवाद
- व्यापारिक समझौते
- पड़ोस या सामुदायिक विवाद
- मोटर दुर्घटना
- छोटे-मोटे नागरिक विवाद
- धारा 138 निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट (चेक बाउंस से संबंधित)
- राजस्व प्रकरण ।



मोटर दुर्घटना



बाउंस चेक

व्यापारिक समझौते



संपत्ति विवाद



राजस्व न्यायालय

"Seasoned Specialists in Mediation"

न्यायनिर्णयन और मध्यस्थता में अंतर

भारत में न्यायालय जनता को न्याय दिलाने का सबसे बड़ा माध्यम है, लेकिन हर विवाद को न्यायालय के फैसले की ज़रूरत नहीं होती। कई बार बातचीत और आपसी समझौते से ही प्रकरण हल हो सकता है। यही अंतर है न्यायनिर्णयन (Adjudication) और मध्यस्थता (Mediation) के मध्य।

न्यायनिर्णयन (Adjudication)

- यह वह प्रक्रिया है जिसमें विवाद का अंतिम निर्णय न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।
- फैसला बाध्यकारी (binding) होता है और सभी पक्षों को मानना पड़ता है।
- इसमें औपचारिक विधिक प्रक्रिया, गवाह, साक्ष्य और लंबा समय लगता है।

सरल शब्दों में – न्यायनिर्णयन का मतलब है न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय।

मध्यस्थता (Mediation)

- यह प्रक्रिया न्यायालय के बाहर होती है।
- इसमें एक निष्पक्ष मध्यस्थ दोनों पक्षों को बातचीत के लिए प्रेरित करता है।
- समाधान आपसी सहमति से निकलता है, थोपे गए आदेश से नहीं।
- कम खर्चीली, तेज़ और गोपनीय प्रक्रिया है।

आसान शब्दों में – मध्यस्थता का मतलब है बातचीत और समझौते से समाधान।

न्यायनिर्णयन बनाम मध्यस्थता

पहलू	न्यायनिर्णयन (Adjudication)	मध्यस्थता (Mediation)
निर्णय कौन करता है?	न्यायाधीश/न्यायालय	पक्षकार आपसी सहमति से
निर्णय का स्वरूप	बाध्यकारी (Binding)	आपसी समझौता (Voluntary)
समय	लंबा, वर्षों तक चल सकता है	तेज़, कुछ बैठकों में हल
खर्च	अधिक	कम
रिश्तों पर प्रभाव	टकराव बढ़ सकता है	संबंध सुरक्षित रहते हैं
प्रक्रिया	औपचारिक, कठोर	लचीली, संवाद आधारित

निष्कर्ष

न्यायनिर्णयन और मध्यस्थता दोनों ही न्याय पाने के साधन हैं। जहाँ गंभीर आपराधिक या जटिल प्रकरणों में न्यायालय का निर्णय आवश्यक है, वहीं पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक विवादों में मध्यस्थता सबसे बेहतर रास्ता है।

जहाँ समझौता संभव हो, वहाँ न्यायालय की लड़ाई क्यों?



"Exemplary Experience, Exceptional Results"

मध्यस्थता के लाभ

आज के दौर में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या करोड़ों में है। ऐसे में मध्यस्थता (Mediation) एक सशक्त और सरल माध्यम बनकर उभरी है, जो न केवल न्यायिक भार को कम करती है, बल्कि पक्षकारों के लिए भी फायदे का सौदा है। आइए जानते हैं मध्यस्थता के प्रमुख लाभ-

1. लागत-प्रभावी (Cost-Effective)

न्यायालय की लंबी प्रक्रिया में भारी वकील फीस, कोर्ट फीस और अन्य खर्च शामिल होते हैं। मध्यस्थता इसके मुकाबले बेहद सस्ती है। यह हर वर्ग के लिए सुलभ न्याय का मार्ग है।

2. समय की बचत

जहाँ न्यायालय में वर्षों तक सुनवाई चल सकती है, वर्ही मध्यस्थता कुछ ही बैठकों में विवाद का निपटारा कर देती है।

3. संबंधों को सुरक्षित रखना

न्यायालय में लड़ाई से रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। जबकि मध्यस्थता संवाद और आपसी सहमति पर आधारित होती है। विशेषकर परिवार, पड़ोस और व्यापारिक विवादों में रिश्ते मजबूत रहते हैं।



4. दोनों पक्षों के लिए जीत-जीत वाला परिणाम

न्यायालय का फैसला अक्सर एक पक्ष के पक्ष में और दूसरे के खिलाफ होता है। लेकिन मध्यस्थता में समाधान ऐसा होता है, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट रहते हैं। यही इसे "Win-Win" प्रक्रिया बनाता है।



मध्यस्थता के विधिक आधार : धारा 89 सीपीसी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय

1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89

भारत में मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) की सबसे बड़ी विधिक नींव सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 है।

इस प्रावधान के अनुसार –

- यदि न्यायालय को लगता है कि किसी प्रकरण का समाधान आपसी बातचीत या वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति से संभव है, तो वह प्रकरण को मध्यस्थता, सुलह, लोक न्यायालय या पंचाट के लिए भेज सकता है। यह धारा न्यायालय को केवल फैसला सुनाने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे सौहाद्रपूर्ण समाधान का मार्ग दिखाने की शक्ति भी देती है।

2. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

इस अधिनियम ने लोक न्यायालय और विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है।

- अधिनियम का उद्देश्य है: "सभी वर्गों को निःशुल्क एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना।"
- इसके तहत तालुका, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण गठित किए गए हैं।
- लोक न्यायालय के माध्यम से लाखों प्रकरणों का निपटारा शीघ्र और सौहाद्रपूर्ण तरीके से किया जा चुका है।

यह अधिनियम भारत में जनसुलभ न्याय का सबसे मजबूत विधिक आधार है।

3. सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान को प्रोत्साहित करता रहा है। कुछ उल्लेखनीय निर्णय इस प्रकार हैं:-

- एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्किं कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड (2010) 8 SCC 24 :** मामले में यह चर्चा की गई कि न्यायालय के लिए समाधान की संभावित शर्तों को तैयार करना या उनमें सुधार करना हमेशा आवश्यक नहीं होता है। CPC की धारा 89 के तहत, न्यायालय मध्यस्थता, सुलह, या न्यायिक समाधान जैसे ADR माध्यमों का उपयोग कर सकता है। न्यायालय को यह निर्णय लेना होता है कि मामले को ADR के लिए भेजना उपयुक्त है या नहीं।
- सालेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2005) 6 SCC 344;** यह प्रकरण उन मूलभूत मिसालों में से एक है जिसने भारत में एडीआर (वैकल्पिक विवाद समाधान) / मध्यस्थता / समझौते को मुख्यधारा की नागरिक प्रक्रिया में लाया। इसने इसे कानूनी मान्यता और एक स्पष्ट मार्ग प्रदान किया। इस मामले के परिणामस्वरूप मॉडल नियमों का निर्माण हुआ और इसने कई उच्च न्यायालयों को अपने स्वयं के एडीआर

"Conducting Resolutions with Excellence"

/मध्यस्थता नियम बनाने के लिए प्रेरित किया। मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (MCPC) की उत्पत्ति का श्रेय भी इसी मामले को जाता है।

- **एम. सिद्धीक (मृतक) द्वारा विधिक वारिसान बनाम महंत सुरेश दास और अन्य (2019) 19 SCC 442 (राम जन्मभूमि प्रकरण) सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में पार्टियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 के तहत मध्यस्थता या निपटारे की संभावना तलाशने के लिए आठ सप्ताह की अवधि का उपयोग करने को कहा। मध्यस्थता में उभयपक्ष के मध्य कोई पूर्ण समझौता नहीं हो सका। इस मामले को अक्सर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अत्यधिक विवादास्पद, संवेदनशील, लंबे समय से चले आ रहे विवादों में भी मध्यस्थता (कोर्ट-नियुक्त पैनल के माध्यम से) का उपयोग करने के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। यह दर्शाता है कि जटिल, बहु-पक्षीय, धार्मिक/सांस्कृतिक विवादों में भी मध्यस्थता/एडीआर संभव है।**
- **मोती राम (मृतक) बनाम अशोक कुमार (2011) 1 SCC 466** यह प्रकरण भारतीय न्यायालयों में मध्यस्थता की गोपनीयता के लिए एक प्रमुख मिसाल है। इसने यह निर्धारित किया कि पूरे देश में मध्यस्थता केंद्र की रिपोर्टों को कैसे संभाला जाए। यह सुनिश्चित करता है कि पक्षकार स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकें, बिना इस डर के कि प्रारंभिक प्रस्तावों का उपयोग बाद के मुकदमे में किया जाएगा। यह मध्यस्थता नियमों या मध्यस्थता केंद्रों में संस्थागत नीतियों के मसौदे को प्रभावित करता है: मध्यस्थ की रिपोर्ट में क्या अनुमति है और क्या शामिल नहीं करना चाहिए। यह वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर)/मध्यस्थता में विश्वास के तत्व में योगदान करता है, क्योंकि गोपनीयता भागीदारी और प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है।
- **एन. राधाकृष्णन बनाम मेस्ट्रो इंजीनियर्स एवं अन्य, (2010) 1 एससीसी 72** यह प्रकरण अनुबंध के कथित उल्लंघन से संबंधित पक्षों के बीच एक व्यावसायिक विवाद से उत्पन्न हुआ था। बाद सिविल न्यायालय में दायर किया गया था, लेकिन कार्यवाही के दौरान, न्यायालय ने विवाद समाधान धाराओं के अस्तित्व और न्यायालय के बाहर समझौते की संभावना पर ध्यान दिया। इस मामले ने धारा 89 सीपीसी के तहत मध्यस्थता/समझौते के उपयोग पर प्रश्न उठाए। इस मामले ने व्यावसायिक विवादों में मध्यस्थता और एडीआर के न्यायिक प्रोत्साहन को पुष्ट किया। इसने बाद के निर्णयों के लिए आधार तैयार किया जहाँ न्यायालय नियमित रूप से सिविल और व्यावसायिक मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजते हैं, खासकर जब विवाद न्यायालय के बाहर समझौते की संभावना रखता हो। इसने न्यायालयों की भूमिका को केवल निर्णयिक के रूप में नहीं, बल्कि समझौते के सूत्रधार के रूप में उजागर किया।
- **सुरेश निहिचलानी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (डब्ल्यूपीसीआर संख्या 712/2019)** न्यायालय माननीय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए मामले को मध्यस्थता केंद्र को प्रेषित किया। इसके बाद, पक्षकार मध्यस्थता केंद्र के समक्ष उपस्थित हुए और दिनांक 12.09.2022 के समझौते के माध्यम से अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया।

"Your Path to a Peaceful Resolution"

- **हैल्सी बनाम मिल्टन कीन्स जनरल NHS ट्रस्ट :** (2004) 1 W.L.R. 3002 उपरोक्त वाद में न्यायालय ने अवधारित किया कि वैकल्पिक व्यवस्था से विवाद निस्तारण में पक्षों को यह पूरी स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी स्थिति पर जैसे चाहें दृढ़ बने रहें। ऐसा होने पर यदि पक्षों में कोई समझौता नहीं हो पाता, तब न्यायालय इस बात से प्रभावित नहीं होता। यदि इस प्रक्रिया की निष्ठा (Integrity) तथा गोपनीयता का सम्मान करना है तब न्यायालय को यह जानने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये कि समझौता क्यों नहीं हो सका। कोर्ट ऑफ अपील ने यह अवधारित किया कि न्यायालय को यह शक्ति नहीं है कि वह पक्षों को आदेशित कर सके कि वे अपनी इच्छा के विपरीत जाकर अपने विवाद 'मध्यस्थता' से सुलझाएँ।
- **डेनेट बनाम रेलट्रैक:** (2002) 1 W.L.R. 2434 मामले में कोर्ट ऑफ अपील ने यह तय किया कि पार्टियों का कर्तव्य है कि वे न्याय पाने के लक्ष्य के लिए कोर्ट का सहयोग करें और 'मीडिएशन' अपनाएँ। 'मीडिएशन' के गुणों को बताते हुए जस्टिस ब्रूक ने कहा- "अब कुशल मीडिएटर दोनों पक्षों को वह संतोषजनक नतीजा दिला रहे हैं जो उनके केस में वकील और कोर्ट दोनों की शक्ति से परे था।"
- **जस्टिस डायसन ने हैल्सी बनाम मिल्टन कीन्स जनरल NHS ट्रस्ट:** (2002) 1 W.L.R. 2423 के मामले में 'मीडिएशन' के इस्तेमाल की पुष्टि करते हुए विचार किया और कहा "हमें कोई शक नहीं है कि हमें इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि कई विवाद ऐसे हैं जो 'मीडिएशन' के लिए सही हैं।"
- **बी.एस.कृष्ण मूर्ति एवं अन्य बनाम बी.एस.नागराज एवं अन्य,** (2011) 15 SCC 464 के प्रकरण में न्यायालय ने पारिवारिक और व्यावसायिक विवादों को लंबी मुकदमेबाजी के बजाय मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने के महत्व पर बल दिया। महात्मा गांधी के "सत्य के साथ मेरे प्रयोग" में व्यक्त विचारों से प्रेरणा लेते हुए, न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे विरोधाभासी कार्यवाहियाँ अक्सर बढ़ती लागत, समय की हानि और बिगड़ते रिश्तों के साथ दोनों पक्षों को तबाह कर देती हैं। न्यायालय ने कहा कि, धारा 89 सीपीसी की भावना के अनुरूप, अधिवक्ताओं द्वारा अपने पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान तंत्र की ओर जाने का मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। गांधी जी की आत्मकथा के विस्तृत अंश का उपयोग मध्यस्थता और मध्यस्थता के नैतिक और व्यावहारिक लाभों को समझाने के लिए किया गया, जिससे न्यायालय का यह दृष्टिकोण पुष्ट हुआ कि वर्तमान विवाद का निपटारा पारंपरिक अदालत कक्ष के बाहर ही सबसे अच्छा है।
- **बीपी मोइदीन सेवामंदिर एवं अन्य बनाम एम कुट्टी हसन** (2009) 2 Supreme Court Cases 198 यह एक महत्वपूर्ण मामला है, जो वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता के महत्व पर ज़ोर देता है। यह निर्णय लोक अदालतों की भूमिका और वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को स्पष्ट करता है। यह न्यायालयों की जिम्मेदारी पर भी प्रकाश डालता है कि निपटान कार्यवाही के दौरान पक्षों के आचरण के आधार पर उनके साथ कोई पक्षपात न हो।

"The quieter you become, the more you are able to hear"

सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि किसी भी पक्ष को न्याय से वंचित न किया जाए, खासकर उन मामलों में जहाँ समझौता वार्ता अभी भी लंबित है। यह निर्णय इस बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है कि लोक अदालतों को कैसे काम करना चाहिए और अदालतों को एडीआर से जुड़े मामलों को कैसे देखना चाहिए।

- **पीटी थॉमस बनाम थॉमस जॉब, (2005) 6 SCC 478** भी मध्यस्थता से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, जिसमें न्यायालय ने मध्यस्थता एवं लोक अदालत के संबंध में प्रारंभ से लेकर अंत तक की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि लोक अदालतों द्वारा दिया गया अवार्ड न केवल बाध्यकारी होता है, बल्कि वह विधिक दृष्टि से एक डिक्री (decree) के बराबर है, जिसे सामान्य रूप से अपील अथवा रिवीजन के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती।

"स्वदेशी मध्यस्थता की अवधारणा"

रक्षा देवी बनाम प्रकाश चंद (सिविल अपील संख्या 7435/2012) का प्रकरण भारत में मध्यस्थता की संस्कृति की ओर बढ़ती यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल एक लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवाद का शांतिपूर्वक समाधान किया, बल्कि मध्यस्थता की आत्मा और देश में विकसित होती विवाद-समाधान की संस्कृति को लेकर एक गहरा और सार्थक संदेश भी दिया।

यह निर्णय सुनने की शांत शक्ति, सहानुभूति के मूल्य और मानवीय संबंधों की गरिमा को सम्मान देता है। न्यायालय द्वारा यह स्मरण कराना कि "मध्यस्थ सुनकर बोलते हैं" कानून और जीवन, दोनों के लिए एक शाश्वत सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह संदेश सिखाता है कि सुनना कोई निष्क्रिय क्रिया नहीं, बल्कि ऐसा साहस है जिसमें व्यक्ति बिना निर्णय दिए समझता है और बिना अहंकार के लोगों से जुड़ता है।

जैसे-जैसे भारत एक अधिक समावेशी, संवेदनशील और मानवीय विवाद-समाधान प्रणाली की ओर अग्रसर हो रहा है, यह प्रकरण मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि न्याय केवल अधिकार या विधिक प्रक्रिया से ही नहीं, बल्कि सहानुभूति, ईमानदारी और आपसी विश्वास से भी प्राप्त होता है।

जब मध्यस्थ सच-मुच सुनते हैं, तो पक्षकारों को यह अनुभव होता है कि उनकी बात को महत्व दिया जा रहा है और जब लोगों को यह महसूस होता है कि वे सुने जा रहे हैं, तभी संघर्षों का समाधान प्रारंभ होता है। यही वह क्षण है जहाँ न्याय की वास्तविक यात्रा शुरू होती है।

"Commitment to Conflict Clarity"

90-दिवसीय अभियान – कार्यान्वयन

अभियान की योजना और क्रियान्वयन कैसे किया गया :-

"संवाद ही समाधान है" – इसी मूल मंत्र को लेकर न्यायपालिका और विधिक सेवा प्राधिकरण ने मध्यस्थता को जन-जन तक पहुँचाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की।

योजना कैसे बनी?

न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली नालसा के संयुक्त तत्वाधान में माननीय उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति एम०सी०पी०सी० के सहयोग से विशेष अभियान की रूपरेखा तैयार की गयी। लक्ष्य था –

- लोगों को मध्यस्थता की प्रक्रिया से परिचित कराना।
- अधिक से अधिक विवादों का न्यायालय के बाहर समाधान कराना।
- समाज में शांति और सौहाद्र की संस्कृति को प्रोत्साहित करना।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य था "जनसुलभ, त्वरित और कम खर्चीला न्याय" उपलब्ध कराना।

क्रियान्वयन कैसे हुआ?

1. जागरूकता कार्यक्रम

- गांव-गांव, स्कूल-कॉलेज और संस्थानों में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित हुए।
- पोस्टर, पैम्पलेट, नारे और नुक़ड़ नाटकों के माध्यम से संदेश पहुँचाया गया।

2. विशेष लोक अदालतें और मध्यस्थता केंद्र

- अवकाश के दिनों में भी विशेष लोक अदालतें आयोजित हुईं।
- जिला न्यायालयों और तहसील स्तर पर मध्यस्थता केंद्र सक्रिय किए गए।

3. प्रशिक्षण और भागीदारी

- न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और पैरालीगल वालंटियर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
- समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी मध्यस्थता प्रक्रिया से जोड़ा गया।

4. जनसंपर्क अभियान

- स्थानीय मीडिया, रेडियो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर अभियान को व्यापक बनाया गया।

उपलब्धियाँ

- बड़ी संख्या में पारिवारिक, व्यापारिक और संपत्ति से जुड़े विवाद आपसी सहमति से निपटाए गए।
- हजारों लोगों ने समय, धन और ऊर्जा की बचत की।
- लोगों में यह विश्वास जागा कि न्यायालय के बाहर भी न्याय मिल सकता है।

अवकाश के दिन भी खोले गए मध्यस्थिता सेंटर में सूलझाए गए तीन मानले

ਛਾਇਮ੍ਰਿ ਨਿਧੂਗ ►►। ਟੁਰਫ



प्रदेश व्याध तक सभी की पहुँच निवारित करना तथा मध्यस्थाना के नियन्त्रण से समाज में मैत्रीपूर्ण विवाद निराकार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। पक्षकारों ने संतोष अवधि के दौरान तेज़ी से तुप काका कि नियायालय में वार्ता करके चलने वाले विवाद का नियन्त्रण मध्यस्थाना की मदद से अवकाश में भी कुछ ही व्यापार में हो गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की नई पहल
अवकाश के दिनों में होगी
मध्यस्थता की कार्यवाही

पत्रिका [पत्रिका न्यूज नेटवर्क](http://patrika.com)
patrika.com

दुर्गा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उच्चतम न्यायालय को प्रयोगस्थान एवं मुलह परियोजना समिति (एप्परीसीसी) के संयुक्त निर्देशन में न्यायालयीन प्रणाली लिखित बातों के शीघ्र और सीधार्दृष्टि निपटार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला विधिक संस्थान प्रधानिकान् द्वारा द्वारा प्रयोगस्थान एक नई पहल की शुरुआत की रही है।

इस पहल के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग के मध्यस्थिता केंद्र में अब अवकाश के दिनों में भी मध्यस्थित की वार्तावाली आयोजित की जाएगी। इसका उत्तराध्य है कि पक्षकारों को अतिरिक्त अवसर की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग की महत्वपूर्ण पहल है। इस नई पहल से न्यायालयों में लिखित प्रकरणों की संख्या में कमी आयी और पक्षकारों की सरल और त्वरित न्याय प्राप्त होगी।

जिला न्यायालय दुर्ग का मध्यस्थता केन्द्र बना
मिसाल, अवकाश के दिन भी न्याय सुनिश्चित

पक्षकारों ने विवाद को सुलझाने के लिए आपसी समझा और सहयोग

की भावना प्रदर्शित की

समवेत शिखर संवाददाता

दर्गा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली पर

न्यायालयों में अवकाशों के दिन आमतौर पर शाति रहती है, लेकिन अवकाशों के दिन भी न्याय तक लौटिर पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिला न्यायालय दुर्गा के मध्यस्थान केन्द्र में अवकाशों अवकाशों 23 अप्रैल 2025 को भी न्याय को पूर्ण सुनाई दी। प्रात जानकारी के अनुसार मध्यस्थान केन्द्र प्रभारी एवं मध्यस्थानों ने अनुसार सुनिश्चितों का दावा करते हुए न्याय दान के प्रति उनके कार्यक्रमों को प्रशंसित किया है। प्रात जानकारी के अनुसार इस पहल को देवखर पश्चिमों ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायालय में वर्षों तक बलने वाले विवाद का नियन्त्रण मध्यस्थान को मदर से अवकाशों के दिन में भी कृत ही समय में हो गया। मध्यस्थान केन्द्र दुर्गा की इस अनेकी पहल को न केवल विवाद सुनाया, बल्कि इसको वह सदियों पीरियदा विवादों के अपेक्षाएं और संवादों से अनुभाव के दिनों में भी प्रत्येक समस्या का समाधान संभव है।

जिला न्यायालय दुर्ग के मध्यस्थिता राष्ट्र के नाम से अभियान में दस्त्य मिडियेशन का प्रथम मामला- सप्तम



विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विशेष मध्यस्थिता अभियान संबंधी प्रचार-प्रसार एवं सफलता की खबरें

"Bridging Divides, Building Futures"

नेशनल लोक अदालत में हुआ 6,48,572 मामलों
का निराकरण, लगभग 79 करोड रुपए अवार्ड

संस्कृत विद्यालय, दिल्ली



29 खंडपीठ का किया गया था गठन

पति-पत्नी के आपसी राजीनामे

Over 6.4 lakh cases resolved in third National Lok Adalat

Settlement amount crosses Rs 79 crore

■ Staff Reporter
BHILAI, Sept 14

TIJUDD, *Notizie*

THIRD National Lok Adalat of the year proved highly successful in Durg district, with over 6.48 lakh cases disposed of and a total settlement amount of Rs 79.03 crore.

The National Lok Adalat, held under the directives of the National Legal Services Authority, New Delhi, and the guidance of the Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur, was organised at the District Court and subordinate courts of Durg. The programme was inaugurated at 10:30 a.m. by Principal District Judge and Chairman of the District Legal Services Authority (DLSA), Durg, by garlanding the portrait of Mahatma Gandhi and lighting a ceremonial lamp. The inauguration was attended by the Principal Judge of the Family Court, the Secretary of DLSA Durg, office-bearers of the Durg District Bar Association including Secretary Ravi Shankar Singh, judicial officers, lawyers and senior officials from various banks.



3rd National Lok Adalat in progress

A total of 29 benches were constituted across different courts, including the District Court, Durg, Patna Court, Civil Courts at Bhilai-3, Patan, and Dhanbad, Juvenile Justice Board, Labour Court, Permanent Lok Adalat (Public Utility Services), Revenue Courts, and the Consumer Forum. The benches took up compoundable criminal cases, civil disputes, matrimonial issues, motor accident claims, revenue cases, and pre-litigation disputes related to banking, finance, electricity, and telecom. Settlements were reached

ensuring quick resolution without winners or losers.

Out of the total cases disposed of, 19,137 were court cases and 6,29,435 were pre-litigation matters, including 52 related to banks, 885 electricity disputes and 21 telecom matters. Pre-litigation settlements alone accounted for nearly Rs 96 lakh.

ments were family reconciliations. In one case, a criminal matter involving domestic violence between husband and wife was amicably resolved, with the couple reconciling and choosing to live together peacefully. In the course of other such cases included relief for disabled senior citizen, motor accident compensation, seven-year-old criminal case, family defamation suit withdrawn, commercial dispute from 2014 settled, neighbourhood feud resolved etc.

During the proceedings, the Principal District Judge personally interacted with litigants and bank officials.

Alongside the Lok Adalat, the Chief Medical and Health Officer's office organised a free health check-up camp in the court premises. Hundreds of litigants, lawyers, and visitors availed medical services. A mobile medical unit was also deployed. In partnership with Gurudwara Shaheed Baba Deep Singh and Shri Guru Singh Sabha, free meals were served to around 700 people at the

विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विशेष मध्यस्थिता अभियान संबंधी प्रचार-प्रसार एवं सफलता की खबरें

"Peace in Every Word"



शिविर एवं पाम्पलेट वितरण के माध्यम से विशेष मध्यस्थता अभियान संबंधी व्यापक प्रचार-प्रसार



विशेष मध्यस्थता अभियान संबंधी कार्यशाला

ऑनलाइन न्यायस्थान ऑनलाइन मध्यस्थता वर्तमान समय की एक न्यायालयीन आवश्यकता होने का अवसर प्रभावी और सुविधाजनक तरीका है, जिसका उपयोग विवादों को हल करने के लिए किया जा सकता है। यह समय, सापत और यात्रा की बचत करता है और उन लोगों के लिए भी उपलब्ध है, जो पारंपरिक मध्यस्थता केंद्र तक नहीं पहुंच सकते हैं। जिला एवं सदर न्यायालय द्वारा के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण में ऑनलाइन मध्यस्थता विधि जाने हेतु मध्यस्थता केंद्र प्रभारी के कार्यालय के दूरभाष नंबर 0788-2295013 अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा के दूरभाष नंबर 0788-22330618 पर संपर्क किया जा सकता है।		
Mediation "For the Nation" Campaign (90 day's Mediation drive to settle pending cases in all the Taluka Courts, District Courts and High Courts of India). From :- 01" July 2025 to 07th October 2025	 अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। <ol style="list-style-type: none"> चत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर न्यायालय विधिक सेवा समिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तालुका विधिक सेवा समिति नालसा टोल फ़ी नंबर- 15-100 	 मध्यस्थता उत्तर न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराणा उत्तर न्यायालय भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001 E-mail- cgsa.cg@nic.in, cgsa.cg@gmail.com Phone-(07752) 220170, 222405
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा (छ.ग.) व्यावहारिक वर्तमान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा (छ.ग.) व्यावहारिक वर्तमान	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा (छ.ग.) व्यावहारिक वर्तमान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा (छ.ग.) व्यावहारिक वर्तमान	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा (छ.ग.) व्यावहारिक वर्तमान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा (छ.ग.) व्यावहारिक वर्तमान

मध्यस्थता अभियान संबंधी पाम्पलेट

"Precision Mediation, Proficient Peace"



श्री रविशंकर मानिकपुरी, अधिवक्ता दुर्ग के सहयोग से बनाया गया मध्यस्थता प्रचार संबंधी विडियो

https://youtu.be/y9q_AOXTWLg?si=xcZqsrRcwF9ybxeM



राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी मध्यस्थता प्रचार संबंधी विडियो

<https://youtu.be/4l-i0h5i3DM?si=U6sIY-GimPKystic>



स्थानीय कलाकारों के सहयोग से तैयार मध्यस्थता प्रचार संबंधी विडियो

https://youtu.be/mn_Y9Cd9KO4?si=sUYXb7GTFJAgfod

प्रकरणों की स्क्रीनिंग

(सिविल, वैवाहिक, समझौता योग्य आपराधिक, मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस)

प्रकरणों की स्क्रीनिंग : न्याय की पहली सीढ़ी

"सही प्रकरण का चयन ही सफल समाधान की कुंजी है।"

न्यायपालिका में लंबित प्रकरणों की संख्या करोड़ों में है। ऐसे में मध्यस्थता और लोक न्यायालय जैसी वैकल्पिक पद्धतियों के लिए सही प्रकरणों का चयन (Screening) बेहद जरूरी है। स्क्रीनिंग का अर्थ है – यह तय करना कि कौन-से प्रकरण आपसी समझौते से सुलझ सकते हैं और किन्हें न्यायालय में ही जाना होगा।

स्क्रीनिंग की प्रक्रिया

- जब कोई प्रकरण दर्ज होता है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि क्या यह प्रकरण समझौते योग्य (Compoundable) है।
- यदि प्रकरण आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है, तो उसे मध्यस्थता, सुलह या लोक न्यायालय के लिए भेजा जाता है।
- इससे न्यायालय का भार कम होता है और पक्षकारों को तेज़, सस्ता व संतोषजनक न्याय मिलता है।

किन प्रकरणों की स्क्रीनिंग होती है?

1. दीवानी प्रकरण (Civil Cases)

- संपत्ति विवाद
- अनुबंध (Contract) संबंधी प्रकरण
- पैसों की देनदारी – ऐसे प्रकरणों में बातचीत से हल निकलना आसान होता है।

2. वैवाहिक विवाद

- तलाक
- गुजारा भत्ता
- बच्चों की अभिरक्षा – मध्यस्थता परिवार और रिश्तों को बचाने का सबसे अच्छा माध्यम है।

3. समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण

- हल्की मारपीट
- मानहनि
- आपसी सहमति से सुलझाए जा सकने वाले अपराध – ऐसे प्रकरणों में सुलह से समाज में सौहांशु बना रहता है।

"Resolving Conflict with Care"

4. मोटर दुर्घटना दावे

- सड़क दुर्घटनाओं में मुआवजे की राशि- लोक न्यायालय में ऐसे प्रकरणों का शीघ्र निराकरण संभव है।

5. चेक बाउंस प्रकरण

- धारा 138, परक्रान्त लिखत अधिनियम- अक्सर यह प्रकरण बातचीत के पश्चात दोनों पक्षों के मध्य हुए समझौते अनुसार सुलझ जाते हैं।

लाभ

- न्यायालय का समय और ऊर्जा की बचत होती है।
- पक्षकारों को जल्दी और सस्ता न्याय मिलता है।
- समाज में शांति और सौहाद्र का वातावरण बना रहता है।

यही कारण है कि स्क्रीनिंग से ही न्याय की राह सरल, तेज़ और प्रभावी बनती है।



District Court Durg Mediation Team



"Solutions as Unique as You"

मध्यस्थता कार्यवाही में पुलिस, बार और पक्षकारों का समन्वय

"संवाद से समाधान तभी संभव है, जब सभी हितधारक मिलकर प्रयास करें।"

मध्यस्थता (Mediation) केवल दो पक्षों के मध्य बातचीत नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक प्रक्रिया है। इसमें पुलिस, अधिवक्ता और स्वयं पक्षकार – तीनों का सक्रिय समन्वय आवश्यक होता है। यही समन्वय मध्यस्थता कार्यवाही को सफल और प्रभावी बनाता है।

पुलिस की भूमिका

- कई बार विवाद प्रथम चरण में ही पुलिस के पास पहुँचते हैं।
- यदि पुलिस यह पहचान ले कि प्रकरण सुलह योग्य है, तो उसे न्यायालय के माध्यम से मध्यस्थता केंद्र की ओर भेजा जा सकता है।
- पुलिस का सहयोग यह सुनिश्चित करता है कि पक्षकार न्यायालय की लंबी प्रक्रिया से बच कर शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़े।

बार (अधिवक्ताओं) की भूमिका

- अधिवक्ता अपने मुवक्किल के मार्गदर्शक होते हैं।
- यदि वे पक्षकारों को मध्यस्थता के लाभ समझाएँ – जैसे समय और धन की बचत, गोपनीयता और रिश्तों की रक्षा – तो अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया को अपनाएँगे।
- अधिवक्ता, न्यायालय और मध्यस्थता केंद्र के मध्य सुगम सेतु का कार्य करते हैं।

पक्षकारों की भूमिका

- विवाद का समाधान तभी संभव है, जब पक्षकार सकारात्मक दृष्टिकोण और समझौते की भावना लेकर आएँ।
- उन्हें यह समझना होगा कि मध्यस्थता कोई हार-जीत का खेल नहीं, बल्कि दोनों के लिए लाभकारी समाधान (Win-Win Result) है।
- पक्षकारों की ईमानदारी और सहभागिता ही प्रक्रिया की सफलता तय करती है।

समन्वय के लाभ

- अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव।
- समय और धन की बड़ी बचत।
- सामाजिक संबंधों में आपसी सौहाद्र की स्थापना।
- न्याय प्रणाली पर जनता का बढ़ता विश्वास।

यदि पुलिस विवाद को सही मंच तक पहुँचाए, बार पक्षकारों का मार्गदर्शन करे और पक्षकार संवाद से समाधान की ओर आगे बढ़ें तो यह सामूहिक प्रयास न्याय की राह को तेज, सरल और मानवीय बनाएगा।



"Together We Find Peace"

मध्यस्थता कार्यवाही में विशेष जागरूकता कार्यक्रम, शिविर एवं परामर्श सत्र

"जागरूकता ही समाधान की पहली सीढ़ी है।"

मध्यस्थता (Mediation) को जन-जन तक पहुँचाने और इसे प्रभावी बनाने के लिए केवल विधिक प्रावधान ही पर्याप्त नहीं हैं। आवश्यक है कि आमजन इसके लाभ और प्रक्रिया से भलीभाँति परिचित हों। इसी उद्देश्य से विशेष जागरूकता कार्यक्रम, शिविर और परामर्श सत्र आयोजित किए जाते हैं।

विशेष जागरूकता कार्यक्रम

- न्यायालय परिसर, शैक्षणिक संस्थानों, ग्राम पंचायतों और सामाजिक संगठनों में आयोजित।
- विशेषज्ञों द्वारा मध्यस्थता की परिभाषा, प्रक्रिया और लाभ पर संवाद।
- जनता को यह बताया जाता है कि मुकदमेबाजी की लंबी राह के स्थान पर मध्यस्थता क्यों बेहतर विकल्प है।

शिविर (Camps)

- ग्राम स्तर से लेकर शहरी मोहल्लों तक शिविर लगाकर जनता को प्रत्यक्ष जानकारी दी जाती है।
- इसमें बैनर, पोस्टर, नाटक, वीडियो और पत्रिकाओं के माध्यम से सरल भाषा में संदेश पहुँचाया जाता है।
- शिविरों से ग्रामीण और अशिक्षित वर्ग भी मध्यस्थता के महत्व को समझ पाते हैं।

परामर्श सत्र (Counseling Sessions)

- पारिवारिक, वैवाहिक और आपसी विवादों में परामर्श सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- प्रशिक्षित परामर्शदाता और मध्यस्थ पक्षकारों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते हैं।
- इन सत्रों में भावनात्मक पहलुओं को समझकर ऐसा समाधान सुझाया जाता है, जिससे रिश्ते टूटने के स्थान पर और मजबूत हों।

लाभ

- जनता में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ता है।
- छोटे-छोटे विवाद न्यायालय तक पहुँचने से पहले ही सुलझ जाते हैं।
- समाज में शांति, सौहाद्र और सहयोग का वातावरण बनता है।
- न्यायालय का भार कम होता है और पक्षकारों को त्वरित राहत मिलती है।

"जब जनता जागरूक होगी, तभी न्याय की राह सहज और सरल होगी।"



"Navigating Conflict, Cultivating Calm"

मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थों और स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण

"सफल मध्यस्थता का रहस्य है – प्रशिक्षित मध्यस्थ और संवेदनशील स्वयंसेवक।"

मध्यस्थता (Mediation) केवल विवाद निपटाने की प्रक्रिया भर नहीं, बल्कि यह कला और कौशल है। एक कुशल मध्यस्थ ही संवाद को सकारात्मक दिशा देकर समाधान तक पहुँचा सकता है। इसके लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता का विकास आवश्यक है।

मध्यस्थों के लिए प्रशिक्षण

- **विधिक प्रावधानों की समझ** : मध्यस्थों को सिविल, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस आदि विवादों से संबंधित विधिक विषयों का ज्ञान होना चाहिए।
- **संवाद कला (Communication Skills)** : प्रभावी ढंग से सुनना और निष्पक्ष रूप से बोलना सबसे महत्वपूर्ण है।
- **संवेदनशीलता और धैर्य** : भावनात्मक प्रकरणों, जैसे पारिवारिक विवादों में, मध्यस्थ का धैर्य और सहानुभूति ही समाधान का मार्ग प्रशस्त करती है।
- **नवीन तकनीकों का प्रयोग** : ई-मध्यस्थता (Online Mediation) और डिजिटल प्लेटफार्म पर कार्य करने की क्षमता भी विकसित की जाती है।

स्वयंसेवकों की भूमिका और प्रशिक्षण

- **जागरूकता प्रसार** : स्वयंसेवक जनता को मध्यस्थता के महत्व और प्रक्रिया से परिचित कराते हैं।
- **समन्वयक की भूमिका** : वे पक्षकारों, अधिवक्ताओं और न्यायालय के मध्य संवाद सेतु का कार्य करते हैं।
- **सामुदायिक पहुँच** : ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वयंसेवकों को जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रशिक्षण की विधियाँ

- कार्यशालाएँ (Workshops)
- मॉक-मीडिएशन (Mock Mediation) अभ्यास
- विशेषज्ञ व्याख्यान और केस स्टडी
- ऑनलाइन कोर्स और ई-लर्निंग मॉड्यूल

लाभ

- अधिक प्रभावी और पारदर्शी मध्यस्थता कार्यवाही।
- पक्षकारों का विश्वास और सहयोग बढ़ना।
- विवादों का त्वरित और संतोषजनक समाधान।
- न्यायालय पर भार कम होना और समाज में सौहांशुक्र की स्थापना।

"प्रशिक्षित मध्यस्थ और प्रतिबद्ध स्वयंसेवक – न्याय और शांति के सचे प्रहरी।"

"Mediation : "Where Every Voice is Heard"

अनुभव और सफलता की कहानियाँ

वास्तविक जीवन के केस स्टडीज़

1. पारिवारिक विवाद का सौहाद्रपूर्ण समाधान

प्रकरण : अ और उनकी पत्नी बी के मध्य वर्षों से वैवाहिक मतभेद चल रहे थे प्रकरण न्यायालय तक पहुँचा।

मध्यस्थता में क्या हुआ?

- दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक सुना गया।
- बच्चों के भविष्य और पारिवारिक संबंधों के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- परिणामस्वरूप, दंपत्ति ने आपसी सहमति से अलग होने और बच्चों की संयुक्त देखभाल करने का समझौता किया।

लाभ:

- लम्बी मुकदमेबाज़ी से बचाव हुआ।
- बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव कम हुआ।
- दोनों पक्षों को सम्मानजनक समाधान मिला।

2. सड़क दुर्घटना मुआवजा विवाद

प्रकरण : एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति सी ने बीमा कंपनी से उचित मुआवजे की माँग की, किन्तु बीमा कंपनी के सहमत न होने से विवाद न्यायालय तक पहुँचा।

मध्यस्थता में क्या हुआ?

- दोनों पक्षों के दस्तावेज़ और तर्कों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया गया।
- बीमा कंपनी ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए समझौता प्रस्ताव रखा।
- समझौते के तहत उचित मुआवजा तत्काल भुगतान किया गया।

लाभ:

- पीड़ित को शीघ्र राहत मिली।
- बीमा कंपनी और पक्षकार के मध्य विश्वास बना।
- न्यायालय का समय बचा।

3. व्यावसायिक (Commercial) विवाद

प्रकरण: दो व्यापारिक साझेदारों, डी और ई, के मध्य लाभ बाँटने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ।

मध्यस्थता में क्या हुआ?

- मध्यस्थ ने दोनों की चिंताओं और अपेक्षाओं को समझा।
- साझेदारी की शर्तों को स्पष्ट कर समाधान सुझाया।
- आपसी सहमति से नया अनुबंध (Agreement) तैयार किया गया।

"Empowering Dialogue, Enabling Peace"

लाभ:

- व्यापारिक संबंध टूटने से बचे।
- विवाद न्यायालय में वर्षों तक लंबित नहीं रहा।
- दोनों पक्ष Win-Win की स्थिति में पहुँचे।

4. चेक बाउंस का प्रकरण

प्रकरण : एफ द्वारा जी को दिए गए चेक के अनादरित होने से प्रकरण न्यायालय में दर्ज हुआ।

मध्यस्थता में क्या हुआ?

- पक्षकारों ने संवाद के माध्यम से किस्तों में भुगतान पर सहमति बनाई।
- आपसी विश्वास स्थापित हुआ और प्रकरण न्यायालय में निराकृत हुआ।

लाभ:

- पीड़ित को समय पर भुगतान मिला।
- व्यवसायिक संबंध भी सुरक्षित रहे।

उपरोक्त केस स्टडीज यह दर्शाती हैं कि मध्यस्थता समाज के हर स्तर पर पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक और आपराधिक विवादों में शांति और न्याय की राह खोलती है।

5. वैवाहिक विवाद जहाँ परिवार फिर से मिले— मध्यस्थता से टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ा

प्रकरण : अभिषेक और उनकी पत्नी सोनाली (काल्पनिक नाम) के मध्य पिछले कुछ वर्षों से लगातार मतभेद चल रहे थे। छोटी-छोटी बातों पर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। बच्चे इस तनाव से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे थे।

मध्यस्थता में क्या हुआ?

- दोनों को एक शांत वातावरण में बैठाकर उनकी भावनाएँ सुनी गईं।
- मध्यस्थ ने विवाद की जड़ – आपसी संवाद की कमी और गलतफहमियों पर ध्यान केंद्रित किया।
- बच्चों के भविष्य और पारिवारिक मूल्यों की अहमियत पर दोनों के मध्य चर्चा कराई गई।
- धीरे-धीरे, दोनों पक्षों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझना शुरू किया।



"Solutions Beyond the Courtroom"

परिणाम:

- सोनाली और अभिषेक ने आपसी सहमति से तलाक की अर्जी वापस ले ली।
- परिवार ने साथ रहने और आपसी सम्मान व संवाद बनाए रखने का वचन लिया।
- बच्चों को स्थिर और स्नेहपूर्ण वातावरण प्राप्त हुआ।

लाभ:


- लंबी मुकदमेबाजी और मानसिक तनाव से बचाव।
- परिवार फिर से एकजुट हुआ।
- समाज में सकारात्मक संदेश गया कि मध्यस्थता रिश्तों को बचाने की ताकत रखती है।

प्रेरणा

यह सफलता की कहानी बताती है कि मध्यस्थता केवल विवाद खत्म करने का माध्यम नहीं है, बल्कि रिश्तों को जोड़ने का सेतु भी है। जहाँ न्यायालय केवल विधिक निर्णय दे सकती हैं, वहाँ मध्यस्थता दिलों को जोड़ने का काम करती है।



The role of Mediation in Conflict Resolution



"Mediation: Healing Hearts, Creating Peace"

केस स्टडी 1: गंभीर दुर्घटना में पीड़ित को समय पर सहायता

प्रकरण: महेश पटेल (काल्पनिक नाम) सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका दावा था कि दुर्घटना कार चालक की लापरवाही से हुई है। प्रकरण न्यायालय में दर्ज हुआ और लंबा चलने की संभावना थी।

मध्यस्थता में परिणाम: बीमा कंपनी और कार चालक ने मिलकर महेश को एकमुश्त मुआवजा देने पर सहमति जताई। महेश को इलाज और परिजनों की देखभाल के लिए तुरंत आर्थिक सहायता मिली।

संदेश : मध्यस्थता ने महेश के जीवन को स्थिरता दी और न्याय समय पर मिला।

केस स्टडी 2: मोटर साइकिल दुर्घटना और रोजगार का संकट

प्रकरण : युवक अनिल साहू (काल्पनिक नाम) मोटरसाइकिल से काम पर जाते समय ट्रक से टकराकर घायल हो गए। वे कई महीनों तक काम करने लायक नहीं रहे।

मध्यस्थता में परिणाम: बीमा कंपनी ने त्वरित सुनवाई में आय की हानि और चिकित्सा खर्च दोनों का उचित मुआवजा देने पर सहमति जताई। अनिल ने महसूस किया कि न्यायालय के वर्षों लंबे संघर्ष के स्थान पर यह समाधान अधिक लाभकारी था।

संदेश : मध्यस्थता ने अनिल को आत्मनिर्भर बनने का विश्वास और नया जीवन दिया।

केस स्टडी 3: ऑटो रिक्शा चालक और कार मालिक का विवाद

प्रकरण : रमेश (काल्पनिक नाम) नामक ऑटो चालक की गाड़ी एक कार से टकरा गई। दोनों पक्ष एक-दूसरे को दोष देते रहे और प्रकरण न्यायालय तक पहुँच गया।

मध्यस्थता में परिणाम:

- दोनों पक्षों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
- साक्ष्य के आधार पर आंशिक गलती दोनों की मानी गई।
- बीमा कंपनी ने रमेश को आंशिक मुआवजा दिया और कार मालिक को भी हुए नुकसान की भरपाई हुई।

संदेश : मध्यस्थता ने यह साबित किया कि हर विवाद का जीत-हार में अंत ज़रूरी नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के लिए संतुलित समाधान संभव है।

केस स्टडी 4: पड़ोसियों के मध्य संपत्ति विवाद, सौहाद्रपूर्ण समझौते से सुलझा

प्रकरण: रामप्रसाद शर्मा और सतीश अग्रवाल (काल्पनिक नाम) के मध्य पड़ोस की जमीन के सीमांकन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों परिवारों के मध्य दीवार बनाने, रास्ता रोकने और पेड़ लगाने तक पर झगड़े होते रहे। प्रकरण न्यायालय में पहुँच गया और रिश्तों में खटास बढ़ गई।

मध्यस्थता में क्या हुआ?

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग (छ०ग०) के मध्यस्थता केंद्र में दोनों परिवारों को बुलाया गया।
- मध्यस्थ ने धैर्यपूर्वक दोनों पक्षों की बातें सुनीं।
- नकशा, पटवारी की रिपोर्ट और साक्षियों की राय के आधार पर दोनों को जमीन की वास्तविक सीमा समझाई गई।
- बातचीत के दौरान यह भी बताया गया कि पड़ोसी रिश्ते जीवनभर साथ निभाने वाले होते हैं, इसलिए सौहाद्रपूर्ण समाधान बेहतर है।

परिणाम:

- दोनों परिवारों ने सहमति से जमीन का सीमांकन तय किया।
- रास्ता साझा उपयोग के लिए खुला रखा गया।
- विवाद खत्म होने के बाद दोनों परिवारों ने मिलकर दीवार बनाई और रिश्तों में भी नई शुरुआत की।

लाभ:

- वर्षों से चला विवाद एक ही बैठक में समाप्त हुआ।
- न्यायालय का भार कम हुआ।
- दोनों परिवारों में फिर से विश्वास और सौहाद्र कायम हुआ।

प्रेरणादायक संदेश

यह कहानी बताती है कि संपत्ति विवाद चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, मध्यस्थता के माध्यम से समझदारी, संवाद और सहयोग से समाधान संभव है। इससे न केवल विधिक जटिलताओं से मुक्ति मिलती है बल्कि पड़ोस और समाज में शांति व भाईचारा भी मजबूत होता है।

मध्यस्थता प्रकरणों में प्रौद्योगिकी का उपयोग

"मीडियेशन फॉर द नेशन 90 दिवसीय अभियान के अंतर्गत जारी एस०ओ०पी० में दिए गए निर्देशों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूरस्थ अंचल स्थित पक्षकारों के प्रकरणों का निराकरण करने में विशेष सफलता प्राप्त की गयी, जिसमें तालुका न्यायालय मिलाई-3 से कुल 3 प्रकरण, तालुका न्यायालय पाटन-से कुल 7 प्रकरण, तालुका न्यायालय धमधा-से कुल 3 प्रकरण इस प्रकार कुल 13 प्रकरणों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निराकरण किया गया। इससे पक्षकारों के समय, परिश्रम एवं धन की बचत होने के साथ ही उन्हें सरल एवं सुलभ न्याय की प्राप्ति हुई, जो इस अभियान की विशेष उपलब्धि रही। — श्री दीपक कुमार कौशल, उच्च न्यायिक सेवा अधिकारी, नोडल ऑफिसर, (कम्प्यूटराईजेशन), दुर्ग"



"Seasoned Specialists in Mediation"

पक्षकारों के उद्धरण

"मध्यस्थता ने हमें वर्षों की मुकदमेबाजी के स्थान पर शांति दी"

न्यायालयों में लंबी मुकदमेबाजी, खर्च और समय की बर्बादी आज हर पक्षकार की बड़ी समस्या है। लेकिन मध्यस्थता (Mediation) एक ऐसा विकल्प है जिसने अनेक परिवारों, पड़ोसियों और पक्षकारों को राहत दी है। वास्तविक अनुभव यह बताते हैं कि लोग न्यायालय के तनाव से मुक्त होकर शांति और संतोष प्राप्त कर रहे हैं।


वैवाहिक विवाद का प्रकरण

"हम वर्षों से न्यायालय के चक्र लगा रहे थे। बच्चों की पढ़ाई और घर का माहौल बिगड़ गया था। लेकिन मध्यस्थता कक्ष में कुछ ही बैठकों में हमारा आपसी मतभेद दूर हुआ और परिवार फिर से जुड़ गया। सच में, मध्यस्थता ने हमें घर की शांति लौटाई।" — श्रीमती सुनयना (पक्षकार)




दुर्घटना मुआवजा का प्रकरण

"हम सोचते थे कि बीमा कंपनी से मुआवजा पाने में सालों लगेंगे। लेकिन मध्यस्थता के जरिए हमें कुछ ही हफ्तों में उचित राशि मिल गई। मुकदमे की लंबी लड़ाई से बचकर हमें न्याय भी मिला और समय भी।" — उत्तम (पीड़ित परिवार के सदस्य)



पड़ोस का संपत्ति विवाद

"हम पड़ोसियों से लगातार झगड़ते रहते थे। न्यायालय में प्रकरण चला गया था लेकिन उससे रिश्ते और बिगड़ रहे थे। मध्यस्थता में बैठकर जब बात हुई तो समाधान तुरंत निकल आया। आज हम फिर से अच्छे पड़ोसी हैं। मुकदमेबाजी ने जो दूरी पैदा की थी, मध्यस्थता ने उसे मिटा दिया।" — संतोष (पक्षकार)



चेक बाउंस प्रकरण के पक्षकार

"मध्यस्थता ने हमें वर्षों की मुकदमेबाजी के स्थान पर शांति दी। अब हम कोर्ट-कचहरी के चक्र से मुक्त होकर सामान्य जीवन जी पा रहे हैं।" — श्रीमती सुनीता सुरेश कुमार, चेक बाउंस प्रकरण के पक्षकार

"Exemplary Experience, Exceptional Results"

सांख्यिकीय उपलब्धियाँ

मध्यस्थता में उपलब्धियाँ: आँकड़ों की झलक


न्यायपालिका के भार को कम करने और पक्षकारों को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा निरंतर मध्यस्थता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 2025 में हुई कार्यवाहियों से यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता विवाद समाधान का प्रभावी साधन बन रही है।

आँकड़े एक नज़र में

- कुल रिफर किए गए प्रकरण : 1309 (माह जुलाई- 704, अगस्त- 168, सितंबर- 437) (न्यायालयों से मध्यस्थता हेतु भेजे गए प्रकरण)
- निराकृत किए गए प्रकरण: 527 (माह जुलाई- 108, अगस्त- 68, सितंबर- 351) (जहाँ विवाद सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया)

सफलता दर

इस अवधि में मध्यस्थता की सफलता दर रिफर किए गए मामलों के विरुद्ध प्रत्येक माह बढ़ते क्रम में लगभग 40.10% रही, जो दर्शाता है कि यह प्रक्रिया न केवल समय और धन बचाती है, बल्कि सौहाद्रपूर्ण समाधान का मार्ग भी प्रशस्त करती है।



संदेश


मध्यस्थता की इन उपलब्धियों से यह सिद्ध होता है कि —

- मुकदमेबाजी का भार कम हो रहा है,
- जनता का विश्वास बढ़ रहा है,
- और सबसे महत्वपूर्ण, विवाद शांति और आपसी समझ से समाप्त हो रहे हैं।


"Finding Common Ground, Creating Lasting Peace"

**जिला एवं तालुका न्यायालयों के द्वारा प्रकरणों का चिन्हांकन कर मध्यस्थता केन्द्र
को प्रेषित किया गया, जिसकी जानकारी निम्नानुसार है:-**

S.N.	CATEGORY	NUMBER OF CASES REFERRED FOR MEDIATION (FROM 01-07-2025 TO 30-09-2025)	Successful cases
1	Metrimonial Disputes Case	201	51
2	Accident Claim Case	79	13
3	Domestic Violence Case	8	3
4	Cheque Bounce Case	570	191
5	Commercial Dispute Case	0	0
6	Service Matter Case	0	0
7	Criminal Compundable Case	292	227
8	Consumer Disput Case	0	0
9	Debt Recovery Case	0	0
10	Partition Case	0	0
11	Eviction Case	0	0
12	Land Acquisition Case	0	0
13	Other suitable civil Case	158	42
14	Arbitration case	0	0
15	Labour Law Case	1	0
	TOTAL	1309	527



NUMBER OF REFERRED AND SUCCESSFULL CASES FOR MEDIATION




Out of 527 Successful Cases Ratio of Male & Female

"Transforming Conflict into Harmony"

Category wise successful case

General	274
OBC	198
SC	38
ST	17



उपरोक्त तालिका एवं चार्ट से यह स्पष्ट है कि मीडियेशन के इस अभियान से समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए, किन्तु यह भी दर्शित होता है कि समाज के कुछ वर्गों में इस अभियान को लेकर जागरूकता की कमी होने से लाभार्थियों की संख्या अन्य वर्गों की अपेक्षा कम रही। इससे यह भी सीख मिलती है कि समाज के सभी वर्गों में मुख्यतः ऐसे वर्ग जिनमें जागरूकता की कमी रही, उनमें विशेष ध्यान दिया जाकर सकारात्मक रूप से कार्य किए जाने की आवश्यकता है।



Comperision Chart of year wise reffered & successful cases

Duration	No. of Referred Cases	No. of Successful Cases
In Year 2024	289	103
In Year 2025 (Jan. - June 25)	172	40
90 Days Mediation Drive	1309	527





Chart clearly showing that no. of referred & successful cases in special mediation Drive are more then the no. of cases referred in last 5 years



विशेष मध्यस्थता अभियान में शीर्ष दो न्यायाधीश मीडिएटर और एडवोकेट मीडिएटर

ये नाम न केवल मध्यस्थता ड्राइव की सफलता के प्रतीक हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक सितारे भी हैं। उनका प्रदर्शन परिणाम और प्रभाव दोनों में अतुलनीय रहा है।

इस ड्राइव की सबसे बड़ी उपलब्धि इन मध्यस्थों का असाधारण समर्पण था। उन्होंने दिखाया कि सर्वोत्तम कौशल और मानवीय स्पर्श कैसे विवादों को हमेशा के लिए शांत कर सकता है। उनकी अथक ऊर्जा और पेशेवर उत्कृष्टता ने इस विशेष ड्राइव को एक टर्निंग पॉइंट बना दिया। वे प्रेरणा का स्रोत और रोल मॉडल दोनों हैं।



मध्यस्थ अधिवक्ता

S.N.	Name of Advocate Mediator	No. of Successful Cases
1	श्रीमती मीना सुशील , मध्यस्थ अधिवक्ता	129
2	श्री ए०के० जायसवाल, मध्यस्थ अधिवक्ता	99

मध्यस्थ न्यायाधीश

S.N.	Name of Advocate Mediator	No. of Successful Cases
1	श्री पी०एस० मरकाम , अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	80
2	श्रीमती सुनीता टोप्पो, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , दुर्ग	80

"Quiet the mind, and the soul will speak."

अभियान के दौरान सामान्य रूप से निराकृत बनाम मध्यस्थता के माध्यम से निराकृत प्रकरण

न्याय वितरण प्रणाली में लंबित प्रकरणों का भार लगातार बढ़ता जा रहा है। परंतु मध्यस्थता (Mediation) एक ऐसा विकल्प है, जिसने सामान्य न्यायालयीन प्रक्रिया की तुलना में तेज, सरल और सौहार्दपूर्ण निराकरण किए जाने की दिशा में क्रांतिकारी परिणाम दिए हैं।

सामान्य रूप से निराकृत बनाम मध्यस्थता के माध्यम से निराकृत प्रकरण

1. समय –

- सामान्य न्यायालयीन प्रक्रिया में एक प्रकरण वर्षों तक लंबित रह सकता है।
- मध्यस्थता में वही प्रकरण कुछ हफ्तों या महीनों में सुलझ जाता है।

2. लागत –

- सामान्य निराकरण में अधिवक्ताओं की फीस, दस्तावेजी खर्च और लंबी सुनवाई का आर्थिक भार पड़ता है।
- मध्यस्थता में खर्च बहुत कम होता है और अक्सर निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाती है।

3. संबंधों पर प्रभाव –

- न्यायालयीन मुकदमे अक्सर पक्षकारों के मध्य कटुता बढ़ा देते हैं।
- मध्यस्थता में संवाद और समझौते के माध्यम से रिश्ते सुधरते हैं और विश्वास मजबूत होता है।

4. परिणाम की प्रकृति –

- सामान्य निराकरण में प्रायः एक पक्ष की जीत और दूसरे की हार होती है।
- मध्यस्थता में परिणाम Win–Win होता है, जिसमें दोनों पक्ष संतुष्ट रहते हैं।



"Beyond Verdicts, Building Futures"

प्रतिक्रिया और सीख

मध्यस्थता विशेष अभियान के सफल आयोजन के बाद, इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने वाले मध्यस्थों ने अपने अनुभव साझा किए। इन प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट झलकता है कि मध्यस्थता केवल विवाद निराकरण का साधन नहीं, बल्कि विश्वास और संवाद की पुनर्स्थापना का माध्यम भी है।

मध्यस्थों की प्रतिक्रियाएँ

"न्यायालयों में वर्षों तक लंबित रहने वाले प्रकरणों का कुछ ही बैठकों में समाधान होते देखना सचमुच प्रेरणादायक रहा" — श्री प्रकाश स्वर्णकार, वरिष्ठ मध्यस्थ अधिवक्ता

"इस विशेष अभियान ने हमें अवसर दिया कि हम अधिक से अधिक लोगों तक मध्यस्थता का महत्व समझा सकें। जिन प्रकरणों को वर्षों से न्यायालय में लंबित देखा था, वे आपसी सहमति से कुछ ही बैठकों में हल हो गए।" — श्री ए०के० जायसवाल, वरिष्ठ मध्यस्थ अधिवक्ता



"सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि पक्षकार खुद समाधान लेकर आए। हमने केवल संवाद का वातावरण दिया, और नतीजा सभी के लिए संतोषजनक रहा।" — श्रीमती मीना सुशील, पारिवारिक विवाद प्रकरणों में कार्यरत मध्यस्थ अधिवक्ता



"मध्यस्थता से न्याय केवल निर्णय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रिश्ते भी बचते हैं। अभियान में कई ऐसे प्रकरण आए जहाँ परिवार फिर से एकजुट हो गया।" — श्रीमती कविता गिरी गोस्वामी, महिला मध्यस्थ अधिवक्ता



"यह अभियान इस बात का प्रमाण है कि यदि सही मार्गदर्शन और माहौल मिले तो अधिकांश विवाद न्यायालय की स्थान पर आपसी समझौते से सुलझ सकते हैं।" — श्री ढाल सिंह देवांगन, मोटर दुर्घटना दावों में कार्यरत मध्यस्थ अधिवक्ता

इन प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है कि मध्यस्थता विशेष अभियान ने न केवल मुकदमों का निराकरण तेज़ और सरल बनाया, बल्कि समाज में सौहाद्र और विश्वास की नींव को भी और मज़बूत किया।



"Transforming Tension into Harmony"

अधिवक्ताओं की प्रतिक्रियाएँ : मध्यस्थता विशेष अभियान पर दृष्टिकोण

मध्यस्थता विशेष अभियान में अधिवक्ताओं ने भी सक्रिय भागीदारी दी और अपने विचार साझा किए। उनकी प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता ने न केवल मुकदमों के भार को कम किया, बल्कि न्याय वितरण की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया।



"न्यायालय में वर्षों तक लंबित रहने वाले प्रकरणों का कुछ ही बैठकों में समाधान होते देखना सचमुच प्रेरणादायक रहा। यह व्यवस्था न केवल पक्षकारों बल्कि अधिवक्ताओं के लिए भी राहतकारी है।" — नीता जैन, अध्यक्ष-जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग

"मध्यस्थता ने अधिवक्ता की भूमिका को और सशक्त किया है। हम अपने मुवक्किलों को मुकदमेबाजी से पहले समझौते का विकल्प दे सकते हैं, जो उनके लिए समय और धन दोनों की बचत करता है।" — रविशंकर सिंह, सचिव-जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग



"पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता से रिश्ते टूटने के स्थान पर और मजबूत हुए। अधिवक्ता के रूप में हमें भी संतोष मिला कि हमने केवल केस जीता नहीं, बल्कि एक परिवार को टूटने से बचाया।" — श्री अनुराग ठक्कर परिवार न्यायालय अधिवक्ता



"मोटर दुर्घटना प्रकरणों में त्वरित निपटारा देखकर लगा कि न्याय वास्तव में शीघ्र और प्रभावी हो सकता है। इस अभियान ने हमें सिखाया कि हर प्रकरण कोर्ट में लंबा खींचना ज़रूरी नहीं।" — तिरोहित चौहान, मोटर दावा अधिवक्ता



"मध्यस्थता ने अधिवक्ताओं की छवि केवल मुकदमा लड़ने वाले तक सीमित नहीं रखी, बल्कि समाज में शांति और सौहाद्र स्थापित करने में योगदान देने वाली बनाई है।" — सौरभ शेन्ड्रे, युवा अधिवक्ता



"Elegance in Every Agreement"

"मध्यस्थता – न्याय की नई राह"

विशेष अभियान के दौरान मध्यस्थ न्यायाधीशों ने साझा किए गए अपने अनुभव और विचार...

"मध्यस्थता का यह अभियान वाकई में समयोचित और प्रभावशाली है। इससे न केवल प्रकरणों की लंबिता कम होती है, बल्कि पक्षकारों के मध्य समझ और सहयोग की भावना भी बढ़ती है। न्यायालय में लंबित विवाद अब आपसी सहमति से जल्दी सुलझ जाते हैं।" – श्रीमती सुनीता टोप्पो, उच्च न्यायिक सेवा अधिकारी/मध्यस्थ न्यायाधीश



"इस अभियान ने हमारी विधिक प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव लाया है। मध्यस्थता से न केवल न्याय की गति बढ़ती है, बल्कि विवादों का समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से होता है। पक्षकार इस प्रक्रिया से सहज महसूस करते हैं।" – श्री पी०एस० मरकाम, उच्च न्यायिक सेवा अधिकारी/मध्यस्थ न्यायाधीश

"अभियान के माध्यम से मध्यस्थता की प्रक्रिया को आम लोगों तक पहुँचाना बेहद महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि विवाद केवल कोर्ट में ही नहीं, बल्कि बातचीत और समझौते से भी सुलझाए जा सकते हैं।" – श्री अनिष दुबे, उच्च न्यायिक सेवा अधिकारी/मध्यस्थ न्यायाधीश



"मध्यस्थता केंद्र में आयोजित यह विशेष अभियान हमें यह दिखाता है कि न्याय का उद्देश्य केवल निर्णय देना नहीं, बल्कि समाज में शांति और सङ्ग्राव बनाए रखना भी है। ऐसी पहल राज्य के सभी जिलों में होनी चाहिए।" – श्री अवध किशोर, उच्च न्यायिक सेवा अधिकारी/मध्यस्थ न्यायाधीश

मध्यस्थ न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों की ये प्रतिक्रियाएँ साबित करती हैं कि मध्यस्थता न्याय प्रणाली का सहायक स्तंभ बनकर उभरी है। यह न केवल पक्षकारों के लिए फायदेमंद है, बल्कि मध्यस्थ न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं को भी सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाने का अवसर देती है।



"Resolving with Finesse"

विशेष अभियान के दौरान उच्च न्यायिक सेवा अधिकारियों ने साझा किए गए अपने अनुभव और विचार...



"मध्यस्थता न्याय का वैकल्पिक ही नहीं, बल्कि न्याय तक पहुँच का सशक्त माध्यम है। हमारे रेफरल से ही अधिक से अधिक वादियों को त्वरित समाधान का अवसर मिल सकता है।" – श्री थॉमस एका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय

"इस विशेष अभियान के माध्यम से हम समाज में यह संदेश देना चाहते हैं कि विवादों का समाधान केवल न्यायालय में नहीं, संवाद में भी संभव है। जब हम सहमति से समाधान खोजते हैं, तो न्याय केवल निर्णय नहीं, बल्कि संतोष का माध्यम बन जाता है।" – सुश्री रंजू राजतराय, उच्च न्यायिक सेवा अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालय



"श्रम विवादों में जहाँ नियोक्ता और श्रमिक दोनों ही एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वहाँ मध्यस्थता का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। संवाद के माध्यम से मतभेद मिटाकर दोनों पक्षों के हित सुरक्षित किए जा सकते हैं, जिससे कार्यस्थल पर सौहार्द का वातावरण बनता है।" – श्री यशवंत कुमार सारथी, उच्च न्यायिक सेवा अधिकारी/ श्रम न्यायाधीश

"मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकार स्वयं अपने समाधान के निर्माता बनते हैं। यह प्रक्रिया न केवल न्यायिक प्रणाली पर भार करती है, बल्कि समाज में आपसी सङ्घाव और विश्वास को भी सशक्त बनाती है।" – श्री प्रशांत पाराशर उच्च न्यायिक सेवा अधिकारी, दुर्ग छत्तीसगढ़



"विवाद का अंत केवल निर्णय से नहीं, समझ से होता है। मैं सभी परिवारों और समाज के सभी वर्गों से आग्रह करती हूँ कि वे इस प्रक्रिया को अपनाएँ और संवाद की संस्कृति को बढ़ावा दें।" – श्रीमती हिमांशु जैन, उच्च न्यायिक सेवा अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालय

"Save time, save relationships"

इस विशेष अभियान में मध्यस्थता हेतु सर्वाधिक संख्या में प्रकरण रिफर करने वाले न्यायाधीशों के उद्धरण

"रेफरल न्यायाधीश की भूमिका केवल प्रकरणों को अदालत से हटाने की नहीं, बल्कि पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा दिखाने की है।" – श्री भूपेश कुमार बसंत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग



'Mediation for the Nation' विशेष अभियान न्यायपालिका के उस मानवीय स्वरूप को समाज के सामने प्रस्तुत करता है, जहाँ न्यायालय केवल निर्णय देने का स्थल नहीं, बल्कि संवाद और समाधान का मंच भी बनता है। मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकार स्वयं अपने समाधान के निर्माता बनते हैं।" श्रीमती बेता पटेल, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग

"मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान, न्याय को सुलभ, सरल और मानवीय बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। हम सबको इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।" – श्री रवि महोबिया, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग



"मध्यस्थ अभियान ने हमारे काम के महत्व को और अधिक स्पष्ट किया है। यह प्रक्रिया न केवल विवादों का समाधान करती है बल्कि समाज में विश्वास और सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है।" – श्री रवि कश्यप व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग

"विवादों का समाधान न्यायालय की चारदीवारी से बाहर, संवाद और विश्वास के बातावरण में भी संभव है। यह जिम्मेदारी हम रेफरल न्यायाधीशों की है कि हम इस विकल्प को बढ़ावा दें।" – श्रीमती अंकिता तिंगा, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग



"Conflict's Best Friend"

पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाएँ

— मध्यस्थता विशेष अभियान

"मध्यस्थता अभियान ने समाज में शांति बनाए रखने और विवादों को जल्दी सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे प्रशासन और न्यायालय के मध्य सहयोग बढ़ा है और प्रकरणों की संख्या कम हुई है।" — श्री हरवंश सिंह मिरी, अतिरिक्त कलेक्टर, दुर्ग



"अभियान ने हमें यह समझाया कि केवल दंड देने से नहीं, बल्कि लोगों के मध्य संवाद और समझौते से भी अपराध और विवादों को रोका जा सकता है। यह पहल समाज में विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देती है।" — श्री सुखनंदन सिंह राठौर, डी.एस.पी., दुर्ग

"अभियान के दौरान हमने देखा कि छोटे विवाद भी जल्दी सुलझ सकते हैं यदि समय पर मध्यस्थता की प्रक्रिया अपनाई जाए। यह पहल युवाओं और समुदाय के मध्य सहयोग को मजबूत करती है।" — श्रीमती ऋचा मिश्रा, एडिशनल एसपी, यातायात, दुर्ग



मैं इस पहल को समाज में शांति, सङ्ग्राव और आपसी समझ को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानता हूँ और सभी से अपील करता हूँ कि वे इस अभियान को हृदय से अपनाएँ।" — श्री अंबर सिंह भारद्वाज, राष्ट्रीय खिलाड़ी (कराटे)

"हमारे समाज में कई बार नागरिक आपसी विवादों को लेकर न्यायालय तक पहुँच जाते हैं, किन्तु मध्यस्थता की प्रक्रिया में कुछ ही बैठकों में झगड़ा आपसी सहमति से सुलझ जाता है। लोगों को विवाद से समाधान की ओर लाना और समाज में सौहार्द स्थापित करना इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता है।" – **शमशाद बेगम महिला सामाजिक कार्यकर्ता (पद्मश्री से सम्मानित)**



"Mediation for the Nation' विशेष अभियान का मूल उद्देश्य यही है कि आपसी संवाद, समझ और संवेदना के माध्यम से विवाद सुलझाए जाएँ। जब पक्षकार एक-दूसरे की बात धैर्यपूर्वक सुनते हैं, तब समाधान स्वतः उभर आता है।" – **आकर्षी कश्यप, राष्ट्रीय बैटमिंटन खिलाड़ी (राष्ट्रीय कामनवेल्थ खिलाड़ी)**

"एक खिलाड़ी के रूप में मैंने सीखा है कि असली जीत मैदान पर नहीं, मन में होती है — जब हम विवाद को संवाद में, गुस्से को समझ में और हार को सीख में बदल दें। मध्यस्थता भी जीवन का ऐसा ही खेल है, जहाँ मकसद किसी को हराना नहीं, बल्कि दोनों को साथ लेकर समाधान तक पहुँचना है। अगर हम सब 'खेल भावना' से एक-दूसरे को समझें, तो हर विवाद संवाद से सुलझ सकता है।" – **सबा अंजुम, राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी (ओलंपिक खिलाड़ी)**



चुनौतियाँ: पक्षों की अनिच्छा, जागरूकता का अभाव, और व्यवस्था संबंधी बाधाएँ— मध्यस्थता विशेष अभियान: चुनौतियों के बावजूद सफलता

मध्यस्थता का उद्देश्य केवल विवादों का समाधान करना नहीं है, बल्कि समाज में विश्वास, सहयोग और सद्व्यवहार कायम करना भी है। हालाँकि, विशेष अभियान के दौरान कई चुनौतियाँ सामने आई, फिर भी प्रयास और समर्पण से इसे अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई।

1. पक्षकारों की अनिच्छा

अभियान के दौरान अक्सर पक्षकार मध्यस्थता में भाग लेने से हिचकिचाते हैं। उनका मानना होता है कि केवल न्यायालय का निर्णय ही समाधान है। इसके बावजूद, मध्यस्थता केंद्र के समर्पित अधिकारियों तथा न्यायाधीशों ने लगातार समझाईश, विश्वास निर्माण और व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से पक्षकारों को प्रक्रिया में शामिल किया। परिणामस्वरूप, कई विवाद आपसी सहमति से सफलतापूर्वक सुलझे।

2. जागरूकता का अभाव

अभियान शुरू होने से पहले कई लोगों को मध्यस्थता की प्रक्रिया और लाभ की जानकारी नहीं थी। अभियान के दौरान जागरूकता कार्यक्रमों, वर्कशॉप और पाम्पलेट वितरण के माध्यम से लोगों को यह समझाया गया कि मध्यस्थता समय और संसाधन दोनों बचाती है। इसके सकारात्मक प्रभाव से जनता में विश्वास और सहयोग की भावना बढ़ी।

3. व्यवस्था संबंधी बाधाएँ

सीमित संसाधन, मध्यस्थों और सुविधाओं की चुनौतियाँ अभियान टीम के लिए सुधार और नवाचार का अवसर बनीं। न्यायालय में सीमित कक्ष और तकनीकी बाधा की स्थिति के बावजूद, टीम ने बेहतर योजना, तकनीकी सहयोग और व्यवस्थित रिकॉर्डिंग की व्यवस्था से प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाया।

चुनौतियों के बावजूद सफलता

इन चुनौतियों के बावजूद, अभियान अत्यधिक सफल रहा। अनेक विवाद समय पर सुलझे, पक्षकार संतुष्ट हुए और न्यायालय में लंबित प्रकरणों की संख्या में स्पष्ट कमी आई। यह स्पष्ट करता है कि सही दिशा, समर्पित टीम और विश्वासपूर्ण संवाद से मध्यस्थता न केवल संभव है, बल्कि अत्यंत प्रभावशाली भी साबित होती है।

सारांश

मध्यस्थता विशेष अभियान ने यह सिद्ध किया कि चुनौतियाँ केवल सीख का अवसर हैं। अभियान ने न केवल न्याय तक पहुंच को तेज किया, बल्कि समाज में शांति और सहयोग की भावना भी प्रबल की। इस सफलता ने यह संदेश दिया कि मध्यस्थता – समाधान और सद्व्यवहार की दिशा में एक मजबूत कदम है।

"Choosing Peace Over Conflict"

मध्यस्थता विशेष अभियान: भविष्य के मध्यस्थता अभियानों के लिए सीख-

मध्यस्थता विशेष अभियान ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्याय केवल आदेश देने तक सीमित नहीं है। यह अभियान समाज में विश्वास, सहयोग और सङ्ग्राव स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अभियान के दौरान प्राप्त अनुभव और चुनौतियाँ हमें भविष्य के अभियानों के लिए बहुमूल्य सीख देती हैं।

1. समय पर जागरूकता और शिक्षा आवश्यक

अभियान से यह सीखने को मिला कि जनता में मध्यस्थता के महत्व और प्रक्रिया के बारे में समय पर जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। वर्कशॉप, सेमिनार और जानकारीपूर्ण सामग्री के माध्यम से लोगों को मध्यस्थता के लाभ समझाने से उनकी भागीदारी बढ़ती है और विवादों का त्वरित समाधान संभव होता है।

2. विश्वास और संवाद की शक्ति

पक्षकारों की अनिच्छा अक्सर मध्यस्थता प्रक्रिया में बाधक होती है। अभियान ने यह सिखाया कि व्यक्तिगत संवाद, समझाइश और विश्वास निर्माण से ही पक्षकार प्रक्रिया में शामिल होते हैं। भविष्य में अभियानों में विश्वास और संवाद को प्राथमिकता देना सफलता की कुंजी है।

3. संसाधन और संरचना का महत्व

अभियान के दौरान कभी-कभी संसाधन और तकनीकी सुविधाओं की कमी बाधक बनी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भविष्य के अभियानों के लिए सुविधाजनक कक्ष, पर्याप्त मध्यस्थ और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करना आवश्यक है। सुव्यवस्थित योजना सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

4. टीमवर्क और समर्पण

अभियान की सफलता में मध्यस्थता केंद्र के अधिकारियों, न्यायाधीशों और अन्य सहयोगियों का समर्पण महत्वपूर्ण था। भविष्य में अभियानों के लिए यह सीख मिलती है कि टीमवर्क, सहयोग और लगातार प्रयास सफलता की नींव हैं।

5. निरंतर सुधार और नवाचार

मध्यस्थता प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए नवाचार और निरंतर सुधार आवश्यक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मध्यस्थता, केस स्टडी विश्लेषण और फीडबैक मैकेनिज्म भविष्य के अभियानों को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं।

निष्कर्ष:- मध्यस्थता विशेष अभियान ने हमें सिखाया कि चुनौतियों के बावजूद समर्पण, संवाद और सही योजना से अभियान न केवल सफल हो सकता है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। भविष्य के अभियानों के लिए यह अनुभव एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन सकता है।

आगे का रास्ता

सुझाव:- मध्यस्थता विशेष अभियान: मध्यस्थता को संस्थागत बनाने की दिशा

मध्यस्थता केवल विवादों का समाधान नहीं है; अपितु यह समाज में विश्वास, सहयोग और सङ्ग्राव की भावना स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विशेष अभियान के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि मध्यस्थता को स्थायी और प्रभावशाली बनाने के लिए इसे संस्थागत रूप देना आवश्यक है।

1. संस्थागत मध्यस्थता क्यों आवश्यक है?

संस्थागत मध्यस्थता का मतलब है कि मध्यस्थता प्रक्रिया केवल अवसर अनुसार या व्यक्तिगत पहल पर निर्भर न रहे, बल्कि इसे न्यायालय और समाज की संरचना का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। इससे न केवल प्रक्रियाओं में निरंतरता आती है, बल्कि जनता और पक्षकारों में विश्वास भी स्थायी रूप से स्थापित होता है।

2. संरचना और समर्पित टीम की भूमिका

अभियान ने यह सिखाया कि सफल मध्यस्थता के लिए समर्पित मध्यस्थ, प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी और सुव्यवस्थित प्रक्रिया जरूरी है। संस्थागत रूप से स्थापित केंद्रों में प्रकरण जल्दी सुलझते हैं और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है।

3. जागरूकता और शिक्षा को नियमित बनाना

मध्यस्थता को संस्थागत बनाने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जनता में इसके महत्व और लाभ के प्रति लगातार जागरूकता बनाई जाए। नियमित सेमिनार, वर्कशॉप और प्रचार सामग्री के माध्यम से लोग मध्यस्थता प्रक्रिया के प्रति सजग और सहभागी बनते हैं।

4. तकनीकी और प्रशासनिक समर्थन

संस्थागत मध्यस्थता में तकनीकी सहायता और प्रशासनिक समर्थन का होना आवश्यक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन फाइलिंग से प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और प्रभावशाली बनती है। अभियान के अनुभव से यह स्पष्ट हुआ कि तकनीकी संसाधन मध्यस्थता को संस्थागत बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

5. निरंतर मूल्यांकन और सुधार

मध्यस्थता को संस्थागत बनाने के लिए नियमित निगरानी, फीडबैक और सुधार प्रक्रिया जरूरी है। इससे केंद्रों की कार्यक्षमता बढ़ती है और भविष्य में प्रकरणों के समाधान में और तेजी आती है।

निष्कर्ष:- विशेष अभियान ने यह साबित किया कि मध्यस्थता को संस्थागत बनाना केवल आवश्यकता नहीं, बल्कि समाज में न्याय और सङ्ग्राव स्थापित करने का मजबूत माध्यम है। निरंतर जागरूकता, समर्पित टीम और तकनीकी समर्थन के माध्यम से मध्यस्थता स्थायी और प्रभावशाली बन सकती है।

"Navigating Challenges, Finding Resolution"

मध्यस्थता विशेष अभियान: पुलिस थानों में मध्यस्थता डेस्क की स्थापना

मध्यस्थता समाज में विवादों "Precision Mediation, Proficient Peace" को शांतिपूर्ण और सौहाद्रपूर्ण ढंग से सुलझाने का एक प्रभावशाली माध्यम है। विशेष अभियान के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि पुलिस थानों में मध्यस्थता डेस्क स्थापित करना विवाद समाधान की प्रक्रिया को और अधिक त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी बनाता है।

1. त्वरित समाधान और कम लंबित प्रकरण

पुलिस थानों में मध्यस्थता डेस्क के माध्यम से छोटे और तात्कालिक विवाद तुरंत सुलझाए जा सकते हैं। इससे पुलिस का कार्यभार कम होता है और न्यायालय में लंबित प्रकरणों की संख्या में भी कमी आती है।

2. जनता और पुलिस के मध्य विश्वास निर्माण

स्थानीय लोगों के लिए थानों में मध्यस्थता डेस्क उपलब्ध होने से पुलिस और जनता के मध्य संवाद और विश्वास बढ़ता है। लोग समझते हैं कि पुलिस केवल दंड देने के लिए नहीं है, बल्कि समस्याओं का समाधान करने के लिए भी है।

3. जागरूकता और सूचना का केंद्र

मध्यस्थता डेस्क न केवल विवादों का समाधान करता है, बल्कि जनता को मध्यस्थता प्रक्रिया के लाभ और महत्व के प्रति जागरूक भी करता है। यह थानों को सूचना और मार्गदर्शन का केंद्र बनाता है।

4. सहयोग और समन्वय में सुधार

मध्यस्थता डेस्क पुलिस, न्यायालय और समुदाय के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करता है। इससे विवाद समाधान में समय और संसाधनों की बचत होती है, और प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली बनती है।

5. भविष्य के मध्यस्थता अभियानों के लिए मार्गदर्शन

थानों में डेस्क की स्थापना यह संदेश देती है कि मध्यस्थता केवल न्यायालय तक सीमित नहीं है। यह प्रणाली स्थायी और संस्थागत मध्यस्थता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य के अभियानों की सफलता सुनिश्चित करती है।

निष्कर्ष:- विशेष अभियान ने यह साबित किया कि पुलिस थानों में मध्यस्थता डेस्क न केवल विवादों का त्वरित समाधान करते हैं, बल्कि जनता में विश्वास, सहयोग और न्याय प्रणाली की पारदर्शिता भी बढ़ाते हैं। यह कदम समाज में मध्यस्थता की प्रक्रिया को स्थायी और प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक मजबूत उदाहरण है।



"Restoring Balance, Strengthening Bonds"

मध्यस्थता विशेष अभियान: गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक नेतृत्वकर्ताओं की भागीदारी

मध्यस्थता केवल न्यायालय में विवाद सुलझाने तक सीमित नहीं है; यह समाज में सहयोग, विश्वास और सद्व्यवहार स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। विशेष अभियान के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और सामुदायिक नेतृत्वकर्ताओं को शामिल करना मध्यस्थता की सफलता और प्रभावशीलता के लिए निर्णायिक भूमिका निभाता है।

1. समुदाय में विश्वास और स्वीकार्यता

सामुदायिक नेतृत्वकर्ता और NGOs स्थानीय जनता के मध्य भरोसा पैदा करते हैं। उनके माध्यम से अभियान को स्थानीय समुदाय में स्वीकार्यता मिलती है और लोग मध्यस्थता प्रक्रिया में अधिक सहजता और विश्वास के साथ भाग लेते हैं।

2. जागरूकता और शिक्षा में सहायक

NGOs और सामुदायिक नेतृत्वकर्ता जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सेमिनार, वर्कशॉप और स्थानीय कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को मध्यस्थता के लाभ और प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हैं। इससे जनता के मध्य जागरूकता और सहभागिता बढ़ती है।

3. विवादों का त्वरित समाधान

स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं और संगठनों की भागीदारी से विवादों का समाधान त्वरित और प्रभावी होता है। वे पक्षकारों को समझौते और सहयोग की दिशा में प्रेरित करते हैं, जिससे प्रकरण लंबित नहीं रहते और न्यायालय का दबाव कम होता है।

4. स्थायी और संस्थागत मध्यस्थता की दिशा

NGOs और सामुदायिक नेतृत्वकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी यह संदेश देती है कि मध्यस्थता केवल अवसर अनुसार नहीं, बल्कि स्थायी और संस्थागत प्रक्रिया है। उनका सहयोग भविष्य के मध्यस्थता अभियानों की सफलता और प्रभावशीलता के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होता है।

5. समन्वय और सहयोग का मजबूत नेटवर्क

सामुदायिक नेतृत्व और NGOs पुलिस, न्यायालय और जनता के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करते हैं। इससे विवाद समाधान की प्रक्रिया तेज होती है, और समाज में सहयोग और सद्व्यवहार की भावना बढ़ती है।

निष्कर्ष:- विशेष अभियान ने यह साबित किया कि गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक नेतृत्वकर्ताओं को शामिल करना मध्यस्थता प्रक्रिया की सफलता के लिए अनिवार्य है। उनका सक्रिय सहयोग न केवल विवादों के समाधान को तेज और प्रभावशाली बनाता है, बल्कि समाज में विश्वास, सहयोग और न्याय प्रणाली की पारदर्शिता भी बढ़ाता है।

मध्यस्थता के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:– (FAQs)

1. मध्यस्थता क्या है?

➤ मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है, जिसमें एक निष्पक्ष मध्यस्थ (Mediator) दोनों पक्षों के मध्य संवाद करता है और आपसी समझौते के माध्यम से विवाद सुलझाने में सहायता करता है।

2. मध्यस्थता कब उपयोग की जा सकती है?

➤ यह दीवानी और आपराधिक समझौता योग्य प्रकरणों, जैसे संपत्ति, परिवार, अनुबंध या सामुदायिक विवादों में उपयोग की जा सकती है।

3. क्या मध्यस्थता में न्यायालय की प्रक्रिया जैसी औपचारिकता होती है?

➤ नहीं। मध्यस्थता सरल, अनौपचारिक और पारदर्शी प्रक्रिया है। इसमें समय और लागत कम होती है और पक्षकार सहज वातावरण में समाधान कर सकते हैं।

4. क्या मध्यस्थता का निर्णय अनिवार्य होता है?

➤ मध्यस्थता में निर्णय को Settlement Agreement कहा जाता है। यदि पक्षकार इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो यह न्यायालय में लागू किया जा सकता है। इसे अनिवार्य नहीं माना जाता।

5. क्या मध्यस्थता गुप्त रखी जाती है?

➤ हाँ। मध्यस्थता में साझा की गई जानकारी गोपनीय रहती है और इसे बिना पक्षकार की अनुमति के बाहर नहीं बताया जाता।

6. मध्यस्थ का काम क्या होता है?

➤ मध्यस्थ केवल संवाद और वार्ता का मार्गदर्शन करता है। वह पक्षकारों के लिए समाधान सुझा सकता है, लेकिन पक्षकारों को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता देता है।

7. मध्यस्थता में शामिल होना क्या अनिवार्य है?

➤ मध्यस्थता में भाग लेना स्वैच्छिक है। पक्षकार अपनी सहमति से प्रक्रिया में शामिल होते हैं और जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं होते, समाधान नहीं निकलता।

8. मध्यस्थता के लाभ क्या हैं?

- समय और लागत की बचत
- सरल और अनौपचारिक प्रक्रिया
- पक्षकारों के मध्य सहयोग और विश्वास बढ़ना
- विवाद का त्वरित और स्थायी समाधान

9. क्या न्यायालय में भी मध्यस्थता की सुविधा होती है?

➤ हाँ। अधिकांश जिला न्यायालयों और मध्यस्थता केंद्रों में मध्यस्थता की सुविधा उपलब्ध है। इससे लंबित प्रकरणों की संख्या कम होती है और न्यायालय की कार्यक्षमता बढ़ती है।

"Mediation: Restoring Love, Preserving Bonds."

10. भविष्य में मध्यस्थता का महत्व क्या है?

➤ मध्यस्थता भविष्य में न्याय व्यवस्था का एक स्थायी और प्रभावशाली हिस्सा बन रही है। यह समाज में विवाद समाधान की संस्कृति और सद्ग्राव स्थापित करने में सहायता करती है।

11. अगर समझौता विफल हो जाए तो क्या होगा?

➤ यदि मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान पक्षकारों के मध्य समझौता नहीं हो पाता, तो कोई बाधा नहीं आती। प्रकरण उसी न्यायालय या विधिक प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ता है। यानी, मध्यस्थता विफल होने पर पक्षकार अपने अधिकार के अनुसार न्यायालय में मुकदमा जारी रख सकते हैं। मध्यस्थता की प्रक्रिया स्वैच्छिक और गैर-आपराधिक होती है, इसलिए इसका विफल होना किसी भी पक्ष पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। यह मात्र विवाद को शांतिपूर्ण और त्वरित समाधान के लिए हल करने का एक अवसर होता है।

12. क्या मध्यस्थता बाध्यकारी है?

➤ मध्यस्थता स्वैच्छिक और सहमति आधारित प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि मध्यस्थ केवल पक्षकारों के मध्य संवाद और समाधान की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यदि दोनों पक्ष समझौते पर सहमत हो जाते हैं, तो समझौता विधिक रूप से लागू और बाध्यकारी (Binding) हो जाता है। यदि कोई पक्ष समझौते को स्वीकार नहीं करता या मध्यस्थता विफल हो जाती है, तो यह विधिक प्रक्रिया पर कोई बाध्यता नहीं डालती। पक्षकार न्यायालय में अपने मुकदमे को जारी रख सकते हैं। इस प्रकार, मध्यस्थता स्वैच्छिक होती है, लेकिन समझौता होने पर उसे विधिक प्रभाव और बाध्यता प्राप्त होती है।

13. इसकी लागत कितनी है?

➤ मध्यस्थता की कार्यवाही विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत निःशुल्क होती है। इसके अलावा, मध्यस्थता में अतिरिक्त वकील या लंबी सुनवाई का खर्च नहीं आता, जिससे समय और धन की बचत होती है। इस प्रकार, मध्यस्थता सस्ते, त्वरित और सरल उपाय के रूप में विवाद समाधान का एक प्रभावी माध्यम है।

"Unite, Resolve, Evolve."

राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थिता को बढ़ावा

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थिता को मध्यस्थिता अधिनियम, 2023 द्वारा तेजी से समर्थन मिल रहा है, जो इसे विवाद समाधान के एक पसंदीदा तरीके के रूप में बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थिता को एक प्राथमिक विकल्प के रूप में अपनाये जाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम हो। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थिता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं:-

पहला राष्ट्रीय मध्यस्थिता सम्मेलन 2025: पहला सम्मेलन 3 मई, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। जिसमें कहा गया कि मध्यस्थिता अधिनियम, 2023 के लागू होने के बाद मध्यस्थिता एक अवधारणा के रूप में लोकप्रियता प्राप्त कर रही है और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में उभरी है। यह अधिनियम अदालत के बाहर समझौतों को बढ़ावा देता है और पूरे देश में मध्यस्थिता के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली का निर्माण करता है।

दूसरा राष्ट्रीय मध्यस्थिता सम्मेलन 2025: दूसरा सम्मेलन 27-28 सितंबर, 2025 को भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया था। दो दिवसीय इस सम्मेलन का समापन न्याय प्रदान करने और सामाजिक समरसता के एक परिवर्तनकारी साधन के रूप में मध्यस्थिता पर जोर देने के साथ हुआ। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई ने मध्यस्थिता अधिनियम, 2023 पर जोर देते हुए मध्यस्थिता को न्याय प्रणाली के एक विश्वसनीय स्तंभ के रूप में स्थापित किया।



सरकारी संस्थाएं बेकार केस लड़ रहीं, देश का पैसा और कोर्ट का वक्त बर्बाद हो रहा

द्वितीय | मुख्यमंत्री

सुझाव: ग्रीन मीडिएटर, पैरेंट एडवोकेसी ग्रुप बनें



सुश्रीम कोटे की जज जरिट्स बीबी नागरिकों ने सरकारी संस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वे ऐसे मुकदमे लड़ रही हैं, जिनमें जीत को कोई संभावना नहीं होती। इससे देश के संसाधनों की बवादी हो रही है और अदालतों का जीवनी समय

जरिट्स नागरिकों ने सुझाव दिया कि प्रश्नवरण विवादों के लिए 'ग्रीन मीडिएटर', व्यापक यामलों के लिए 'पैरेंट एडवोकेसी ग्रुप', वैदिक संपदा अधिकारों के लिए डब्ल्यूआई जीसी प्रणाली और स्टार्टअप एंटरप्रायर्स मध्यस्थिता कलाज शामिल किए जाने चाहिए। विश्वास न्याय ममिति को चेयरमैन के तौर पर कहा कि नावालियों के यामलों में पौँडित और आरोपी के बीच मध्यस्थिता होनी चाहिए। इसे द्वारा मध्यस्थिती द्वारा सचालित किया जाए।

भी खगड़ हो रहा है। उन्होंने कहा, दी गलत दिशा में खर्च होते रहे। अगर सरकारी संस्थाएं बास-वार जरिट्स नागरिकों ने ये बातें हाल ही ऐसे मुकदम करती रहीं, तो देश में भुवनेश्वर में हुए दूसरे राष्ट्रीय का पैसा और न्यायिक समय दोनों मध्यस्थिता सम्मेलन में कहाँ।

"Conflict is inevitable, but combat is optional."

मध्यस्थता पर क्षेत्रीय सम्मेलन, पुणे: रविवार, 5 अक्टूबर 2025 को पुणे में आयोजित किया गया था। मध्यस्थों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, न्यायमूर्ति मोहिते डेरे ने कहा, "एक मध्यस्थ का कार्य पक्षों को संवाद करने, समझौता खोजने और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुँचने में मदद करना है। माइंडफुलनेस और ध्यान जैसी तकनीकें मध्यस्थों के धैर्य और सहानुभूति को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।"

न्यायमूर्ति एम.एस. सोनक ने अपने संबोधन में कहा कि "मध्यस्थता की संख्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, हमें गुणवत्ता को प्राथमिकता देनी चाहिए।" मध्यस्थों को दोनों पक्षों के बीच समान आधार की पहचान करने और ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए जहाँ सुनने को बोलने से ज्यादा प्राथमिकता दी जाए।




"Never cut what you can untie."

दुर्ग जिले से संबंधित जानकारी

जिले का क्षेत्रफल: भौगोलिक विवरण (Area Of District: Geographical details)

सामान्य जानकारी (General Information):

दुर्ग जिला भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के सघन आबादी वाले जिलों में से एक है। दुर्ग जिला समृद्ध छत्तीसगढ़ के मैदान के दक्षिणी भाग में स्थित है। दुर्ग जिले का क्षेत्रफल 2238.36 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला $20^{\circ}54'$ और $21^{\circ}32'$ उत्तरी अक्षांश तथा $81^{\circ}10'$ और $81^{\circ}36'$ पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह जिला समुद्र तल से 317 मीटर ऊपर है।



जनगणना 2011 (अस्थायी) के अनुसार, जिले की जनसंख्या 17,21,726 है। इसमें 6,17,184 ग्रामीण जनसंख्या और 11,04,542 शहरी जनसंख्या शामिल है। जिले की सीमाएँ उत्तर में बेमेतरा जिले, पश्चिम में राजनांदगाँव जिले, दक्षिण में बालोद जिले और पूर्व में रायपुर तथा धमतरी जिले से घिरी हुई हैं। दुर्ग जिला दक्षिण-पूर्वी रेलवे की हावड़ा-मुंबई मुख्य लाइन पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 भी इस जिले से होकर गुजरता है।



"Mediation saves money, saves time, and saves relationships."

नदियाँ (Rivers):

जिले का सामान्य ढलान उत्तर-पूर्व की ओर है, जिस दिशा में जिले की प्रमुख जलधाराएँ बहती हैं।

(1) **शिवनाथ (Shivnath)** - शिवनाथ दुर्ग जिले की मुख्य नदी है। शिवनाथ नदी महानदी की एक सहायक नदी है। शिवनाथ नदी राजनांदगाँव के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित पानाबरस में 625 मीटर की ऊँचाई वाले पर्वत से निकलती है और उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बहती है। शिवनाथ नदी की लंबाई लगभग 345 किलोमीटर है। दुर्ग शहर शिवनाथ नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह खुज्जी, राजनांदगाँव, दुर्ग, धमधा और नांदधाट से होते हुए उत्तर-पूर्व की ओर बहती है और बिलासपुर जिले के शिवरीनारायण के पास महानदी में मिल जाती है।

(2) **खारुन (Kharun)** - खारुन नदी जिले के पूर्वी भागों में बालोद जिले के पेटेचुआ से शुरू होकर बहती है। यह नदी उत्तर की ओर बहती है और सोमनाथ में शिवनाथ नदी से मिल जाती है। यह नदी रायपुर और दुर्ग जिले की सीमा निर्धारित करती है। इस नदी की लंबाई लगभग 120 किलोमीटर है।

खनिज संसाधन (Mineral Resources):

इस जिले में उच्च गुणवत्ता वाले चूना पत्थर के समृद्ध भंडार हैं। नंदिनी, सेमरिय, खुंदनी, पिथौरा, सहगाँव, देउरझाल, अहिवारा, अछोली, मटरागोटा, घोटवानी और मेडेसरा में चूना पत्थर का खनन जारी है। इस प्रकार प्राप्त चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से एसीसी (ACC) द्वारा सीमेंट उत्पादन और बीएसपी (BSP) द्वारा स्टील उत्पादन के लिए किया जाता है।

जलवायु (Climate)

जिले की जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। गर्मियाँ थोड़ी गर्म होती हैं। तापमान में वृद्धि मार्च से मई के महीने तक शुरू होती है। मई सबसे गर्म महीना होता है। दुर्ग जिले की वार्षिक औसत वर्षा 1052 मिमी है। वर्ष के दौरान, अधिकांश वर्षा मानसून के महीनों जून से सितंबर के दौरान होती है। जुलाई सबसे अधिक वर्षा वाला महीना है।

जिले का संक्षिप्त इतिहास (Brief History of District)

दुर्ग जिले का गठन 1 जनवरी, 1906 को रायपुर और बिलासपुर जिलों के क्षेत्रों को लेकर किया गया था। उस समय आज के राजनांदगाँव और कबीरधाम (कवर्धा) जिले भी दुर्ग जिले का हिस्सा थे। 26 जनवरी, 1973 को दुर्ग जिले का विभाजन किया गया और एक अलग राजनांदगाँव जिला अस्तित्व में आया। 6 जुलाई, 1998 को राजनांदगाँव जिले को भी विभाजित किया गया और नया कबीरधाम जिला अस्तित्व में आया। 1906 से पहले, दुर्ग रायपुर जिले की एक तहसील था। 1906 में दुर्ग जिले के गठन के समय, इसमें दुर्ग, बेमेतरा और बालोद तीन तहसीलें थीं। जिले को 1 जनवरी, 2012 को फिर से विभाजित किया गया और दो नए जिले बेमेतरा और बालोद अस्तित्व में आए।

"The mediator is the neutral architect of a durable agreement."

जिले के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य (significant fact about District)

धार्मिक (Religious)

- **श्री पार्श्व तीर्थ, नगपुरा (Sri Uwassaggaharam Parshwa Tirtha, Nagpura):** यह नगपुरा



शहर में स्थित एक जैन मंदिर है, जो 1995 में शिवनाथ नदी के तट पर स्थापित हुआ था। इस परिसर में मंदिर, गेस्ट हाउस, एक बगीचा और प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग केंद्र स्थित हैं। श्री पार्श्वनाथ के शानदार संगमरमर के मंदिर के प्रवेश द्वार पर 30 फुट ऊँची पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, जिसकी पूजा चार स्तंभों (आध्यात्मिक प्रायश्चित्त, अर्थात्, बुद्धि, आत्मनिरीक्षण, अच्छा आचरण, तपस्या के चार अनिवार्य प्रतिनिधित्व) के समर्थन से की जा रही है।

यहाँ से पवित्र जल, अमी, प्रतिमा से रिसता है। पूर्णिमा पर सैकड़ों तीर्थयात्री इस मंदिर में आते हैं।

पर्यटन (Tourism)

- **मैत्री बाग (Maitri garden):** यह भिलाई स्टील प्लांट द्वारा बचों के पार्क के साथ-साथ एक



चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर के मुख्य आकर्षणों में विदेशी जानवर और पक्षी प्रजातियाँ, झीलें, खिलौना ट्रेन और अन्य चीजें हैं। कृत्रिम झील के द्वीप पर स्थित म्यूजिकल फाउंटेन एक गतिशील दृश्य है, जो संगीत के प्रदर्शन की शैली और लय की व्याख्या में संगीत पर प्रतिक्रिया करता है। प्रत्येक गतिविधि शानदार रंगों से जगमगाती है - संगीत नाटक के रूप में, हवा के साथ छोड़ना, मोड़ना, लहराना, घूमना,

धड़कना, पानी की शूटिंग जम्प और ड्रम में ताल। सफेद बाघ चिड़ियाघर के मुख्य आकर्षण हैं। यहाँ हर साल पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की जाती है।

"Litigation is a forced dance. Mediation is a choice."

औद्योगिक क्षेत्र (Industrial area)

- दुर्ग उच्च समृद्ध औद्योगिक क्षेत्रों वाला जिला है जो राज्य और देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उच्च योगदान देता है। इसके मुख्य औद्योगिक क्षेत्र भिलाई, रसमड़ा और कुम्हारी में हैं। प्रमुख उद्योग स्टील उत्पादन से संबंधित हैं, जैसे भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant)।
- भिलाई स्टील प्लांट:** देश में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए ग्यारह बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी का विजेता, भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) भारतीय रेलवे के लिए विश्व स्तरीय रेल का भारत का एकमात्र उत्पादक और आपूर्तिकर्ता है, जिसमें 260 मीटर लंबी रेल भी शामिल है, और यह विभिन्न प्रकार की चौड़ी और भारी स्टील प्लेटों और संरचनात्मक स्टील का एक प्रमुख उत्पादक है। 3.153 एमटी बिक्री योग्य स्टील की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ, यह संयंत्र वायर रॉड और मर्चेट उत्पादों जैसे अन्य उत्पादों में भी माहिर है। संयंत्र द्वारा उत्पादित टीएमटी उत्पादों (बार्स और रॉड) की पूरी श्रृंखला भूकंप प्रतिरोधी ग्रेड और बेहतर गुणवत्ता की है। यह संयंत्र चैनलों और बीमों सहित भारी संरचनाओं का भी उत्पादन करता है।



Bhilai Steel Plant

"Mediation is letting the parties write their own ending."

कला और संस्कृति

छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है। राज्य की संस्कृति बहुत अद्वितीय और जीवंत है। पंडवानी, राज्य का सबसे प्रसिद्ध नृत्य-नाटिका (डांस-ड्रामा), महान हिंदू महाकाव्य महाभारत की एक संगीतमय प्रस्तुति है। पंडवानी दुर्ग और आस-पास के क्षेत्रों का सबसे प्रसिद्ध नृत्य-नाटिका है। इस क्षेत्र के कुछ अन्य प्रसिद्ध नृत्य रूपों में राजत नाचा (चरवाहों का लोक नृत्य), पंथी और सुवा शामिल हैं।

पंडवानी


पंडवानी एक पंथी गीत है जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया जाता है। यह महाकाव्य महाभारत के मुख्य पात्रों, पांडवों की कहानी का चित्रण करता है। पंडवानी में कथन की दो शैलियाँ हैं: वेदमती और कापालिक। वेदमती शैली के कलाकार प्रदर्शन के दौरान फर्श पर बैठते हैं और इसे सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कापालिक शैली व्यापक है, जहाँ कलाकार वास्तव में दृश्यों और पात्रों को अभिनीत करते हैं।

दुर्ग जिले के गनियारी गांव की पंडवानी कलाकार तीजन बाई ने भारत और विदेशों में इस नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें अहिल्या देवी सम्मान और प्रतिष्ठित पद्मश्री (1988), श्रेष्ठ कला आचार्य (1994), और प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (1996) जैसे सम्मानों से नवाजा गया है। 2002 में, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर ने तीजन बाई को मानद डी.लिट (D.Litt) की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की।



भिलाई की रितु वर्मा ने भी पंडवानी की कापालिक शैली को अपनाया है। रितु वर्मा पंडवानी का प्रदर्शन करने के लिए पहले ही जर्मनी और इंग्लैंड का दौरा कर चुकी हैं। श्री पूना राम निषाद, दुर्ग के सिंगानी गांव के रहने वाले हैं। इस पारंपरिक कला के प्रति उनका समर्पण सराहनीय है और उन्हें इसके लिए पद्मभूषण से सम्मानित किया गया है।

झाड़ू राम देवांगन भिलाई-दुर्ग के बासिन गांव के रहने वाले थे और वे अपनी पंडवानी गायन शैली के लिए जाने जाते थे और उन्होंने पेटी (हार्मोनियम) के साथ महाभारत गाना शुरू किया था। उन्हें पंडवानी के पितामह के नाम से भी जाना जाता था।




"The power is not in the process, but in the parties."

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की संस्कृति एवं मध्यस्थता में उसका महत्व

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर में मौखिक परंपराओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की लोककथाएँ, लोकगीत, कहावतें और लोकगीतात्मक प्रसंग न केवल मनोरंजन के साधन हैं, बल्कि उनमें धैर्य, क्षमा और सहयोग जैसे नैतिक मूल्यों का संदेश निहित होता है। प्रायः विवादों के समाधान हेतु बुजुर्ग लोग इन लोककथाओं या कहावतों का प्रयोग करते हैं और समझौते का मार्ग सुझाते हैं।


दुर्ग जिले के पास बसे गाँव पथरिया में दो पड़ोसी परिवार रामू साहू और गजाधर साहू खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने को लेकर उलझ गए। मामूली बात मनमुटाव में बदल गई, रिश्ते टूटने लगे और गाँव दो पक्षों में बँट गया। विवाद पंचायत तक पहुँचा, लेकिन सरपंच ने कहा "पहले पंचायत नहीं, पहले बातचीत... पुराने बरगद के नीचे मिलिए।" पुराने बरगद के नीचे गाँव के बुजुर्ग दादू खेमराज ने दोनों परिवारों को समझाया "मेड़ खेत बाँट सकती है, पर दिल नहीं। अगर झगड़ा बढ़ा, तो जमीन नहीं इज्जत जाएगी।" उन्होंने उदाहरण दिया "दो बकरे पुल पर मिले, कोई नहीं झुका... दोनों गिर गए, पुल तो वहीं रहा।" इस बात का असर हुआ। दोनों परिवारों ने एक-दूसरे की बात सुनी, पेड़ गाँव की संपत्ति घोषित हुआ और फल समान रूप से बाँटने का निर्णय लिया गया। आखिर में दोनों ने हाथ मिलाया और बरगद के नीचे फिर साथ बैठकर चाय पी जैसे पुराने दिन लौट आए।




यह उदाहरण दर्शाता है कि लोककथाएँ केवल मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि यह विवाद के निराकरण का एक प्रभावी माध्यम भी है। कहानियाँ/उदाहरण सुनकर पक्षकार अपने विवाद के व्यापक परिणामों पर विचार करते हैं और स्वेच्छा से समझौते की ओर अग्रसर होते हैं।

दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ की संस्कृति छत्तीसगढ़ी लोक जीवन, परंपराओं, और मानवीय मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है। दुर्ग की मिट्टी में लोकगीत, लोकनृत्य, त्यौहार, और सामाजिक मेलजोल की परंपरा आज भी जीवित है।


यहाँ के नागरिकों की सामूहिक सोच और "सबके भले में ही अपना भला" की भावना विवादों के समाधान में सहायक सिद्ध होती है। मध्यस्थता की भावना इस संस्कृति में गहराई तक समाई हुई है, जो समाज में सङ्घाव, न्याय और एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।






**केन्द्रीय जेल दुर्ग (छ०ग०) में निरुद्ध सजायापता एवं विचाराधीन
महिला बंदियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स**



केन्द्रीय जेल दुर्ग (छोगो) में निरुद्ध सजायापत्ता एवं विचाराधीन
बंदियों द्वारा बनाई गई पेंटिस



**केन्द्रीय जेल दुर्ग (छोगो) में निरुद्ध सजायापता एवं विचाराधीन
पुरुष बांदियों द्वारा बनाई गई पैटिंग्स**



केन्द्रीय जेल दुर्ग (छ०ग०) में निरुद्ध सजायाप्ता एवं विचाराधीन
पुरुष बंदियों द्वारा बनाई गई पॉटिंग्स